ELECTRICITY CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM : CHANDBAD : BHOPAL 462 010.

Phone:-2747352, E-mail ecgrfbpl.bhopal@gmail.com,

No.ECGRF/Orders/262Bhopal, Date:14-05-2018

To,
The Webmaster,
O/o DGM (IT),
MPMKVVCL, Nishtha Parisar,
Govindpura, Bhopal 462 023.

Sub:- Submission of Orders passed by the Forum, Bhopal in the month of April'2018 …

In compliance to provision made under clause 3.32 of Electricity Regulation (Revision-I) 2009, the orders passed by this forum during the month of April'2018 as detailed below are being sent herewith, both in hard and soft copy (E-mail) for uploading on the company's web site.

April'2018

S.No.	Case No.&Dt.	Name of Applicant	Name of Non-applicant	Order Date
1	बी.टी./38 12.03.2018	उपयोगकर्ता श्री मनमाहेन सिंह इटारसी, जिला होशंगाबाद।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. इटारसी।	23.04.2018
2	जी.टी./49 17.10.2017	श्री ब्रजेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश कुमार थाटीपुर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	19.04.2018
3	जी.टी./56 17.10.2017	श्रीमति कमला बाई/श्री भुवनेश कुमार, डबरा।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभागम.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. डबरा।	19.04.2018
4	जी.टी./77 12.12.2017	श्री शिवचरण लाल पुत्र श्री मुन्नालाल लश्कर ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	19.04.2018
5	जी.टी. /8014.12. 2017	श्रीमति ऊषा तोमर पत्नी श्री जयसिंह तोमर, गोले का मंदिर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	20.04.2018
6	जी.टी./92 14.12.2017	श्री अमित जेटली, उपयोगकर्ता श्री शिवाजीराव, लश्कर ग्वालियर	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	20.04.2018
7	जी.टी./94 16.01.2018	श्री प्रेमनारायण पुत्र श्री बटई लाल, लश्कर ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (दक्षिण) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	21.04.2018
8	जी.टी. /9816.01. 2018	श्रीमति लक्ष्मी शिंदे पति श्री हरीराव, मुरार,ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	21.04.2018
9	जी.टी/109 15.02.2018	श्रीमति मीरा बाई पत्नी स्व. श्री रामगोपाल जाटव, लश्कर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	21.04.2018
10	जी. टी/11115. 02.2018	श्री संजीव कुमार त्रिपाठी, उपयोगकर्ता माधवी महाजन ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	21.04.2018
11	जी.टी/114 15.02.2018	श्रीमति ममता मिश्रा, पत्नी आर.एस. मिश्रा, डी.डी. नगर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	23.04.2018
12	जी. टी/11815.	श्री बलवंत सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह थाटीपुर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	23.04.2018

	02.2018			
13	जी. टी / 12015. 02.2018	श्रीमति ऊषा तोमर पत्नी श्री जयसिंह तोमर, गोले का मंदिर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	23.04.2018
14	जी. टी / 12115. 02.2018	श्री सुरेन्द्र सिंह नरवरिया पुत्र श्री लखन सिंह, गोले का मंदिर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	23.04.2018
15	जी. टी / 12215. 02.2018	श्रीमति जानकी बाई पुत्र श्री गंगाराम कुशवाह लश्कर ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	25.04.2018
16	जी. टी / 14828. 03.2018	श्रीमति मेहताब बेगम पोस्ट आंतरी , ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	25.04.2018
17	जी. टी / 14928. 03.2018	स्व. श्री सतीश चंद्र, उपयोगकर्ता श्रीमति आशा भगाने, लश्कर ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (केन्द्रीय)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	25.04.2018
18	जी. टी / 15028. 03.2018	श्री सोमिल शर्मा, हरीशंकर पुरम, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (केन्द्रीय)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	25.04.2018

Encl: (18) Orders A/a.

CHAIRPERSON

ECGRF BHOPAL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 04 / 2018

प्रति,
श्री संजीव कुमार त्रिपाठी,
उपयोगकर्ता माधवी महाजन,
जौहरी कॉलोनी, बाबन पायगा,
नई सड़क, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक21.04.2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–111 / 2018दिनॉक 15.02.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक21.04.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–111 / 2018 दिनांक 15.02.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 21.04.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.111/2018

15.02.2018

श्री संजीव कुमार त्रिपाठी,
उपयोगकर्ता माधवी महाजन,(आवेदक)
जौहरी कॉलोनी, बाबन पायगा,
नई सड़क, ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–21.04.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/111 दिनॉक 15.02.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 22.03.2018 एवं 12.04.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि :–
   1. यह कि, आवेदक के परिसर में घरेलू विद्युत उपयोग हेतु एक घरेलू विद्युत कनेक्शन, कनेक्शन क्रमांक 5008952000 कई वर्षो से लगा हुआ है, जिसके बिल आवेदन द्वारा नियमित रूप से जमा किये जाते है।
   2. यह कि, उक्त कनेक्शन का विद्युत मीटर माह दिसम्बर 2014 में अचानक चलते–चलते बंद हो गया एवं उसमें रीडिंग आना बंद हो गई, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा मीटर रीडर से की गई, जिसके द्वारा मीटर शीघ्र बदलवाने का आश्वासन दिया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

3. यह कि, आवेदक का मीटर कई दिनो तक न बदलने पर आवेदक ने एक लेखी आवेदन सम्बंधित जोन पर प्रस्तुत कर मीटर बदलने का निवेदन किया, जिस पर सम्बंधित इंजीनियर ने मीटर उपलब्ध ना होने के कारण कुछ दिन में मीटर बदलने के लिये कहा।

4. यह कि, आवेदक द्वारा लेखी आवेदन देने के पश्चात भी आवेदक के परिसर में स्थापित उक्त खराब मीटर को नही बदला गया तथा आवेदक को अपनी मनमर्जी से 200 से 500 आंकलित खपत की यूनिट लगाकर बिल जारी किये जाते रहे। आवेदक द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद अनावेदक ने माह अप्रैल 2017 में आवेदक के परिसर में स्थापित उक्त खराब मीटर को बदलकर नया मीटर लगाया।

5. यह कि, अनावेदक द्वारा लगाया नया मीटर स्थापना दिनांक से खराब था तथा उपयोग तेज भाग रहा था, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुनः सम्बंधित जोन पर की गई तथा उक्त तेज भाग रहे मीटर की जांच कराने के लिये मीटर परीक्षण शुल्क भी जमा किया परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत पर कोई ध्यान नही दिया गया तथा उक्त तेज भाग रहे मीटर की रीडिंग के आधार पर बिल जारी किये जाते रहे तथा इस दौरान अनावेदक द्वारा आवेदक को जुलाई 2017 में 967 यूनिट, अगस्त 2017 में 573 यूनिट, अक्टूबर 2017 में 1048 यूनिट के बिल दिये गये।

6. यह कि, आवेदक द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद अनावेदक ने माह दिसम्बर 2017 में आवेदक के परिसर में स्थापित उक्त तेज भाग रहे मीटर को बदला गया। उक्त मीटर बदलने के बाद अनावेदक को नई मीटर रीडिंग से इस बात की जानकारी हो गई थी कि आवेदक को माह जून 2015 से दिसम्बर 2017 तक जिन यूनिटो के बिल जारी किये जा रहे थे, वह आवेदक द्वारा उपयोग की गई विद्युत से काफी अधिक यूनिट के थे।

7. यह कि, अनावेदक को उक्त जानकारी होने के बाद भी अनावेदक ने आवेदक के कईबार शिकायत करने के उपरांत भी उक्त बिलों में कोई सुधार नही किया है, जिस कारण आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन विधिक निराकरण हेतु माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्री संजीव कुमार त्रिपाठी सर्विस क्रमांक 7–22–5008952000 का मीटर बंद हो गया था। जिस कारण आंकलित खपत यूनिट लिये जाते रहे। उपभोक्ता को जुलाई 2016 से अगस्त 2016 तक बिल समाप्त कर रू. 2357/– की क्रेडिट एवं अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक बिल कर रू.8910/– तथा मई 2017 से जुलाई 2017 तक रीडिंग विभाजित कर रू. 5899/– की क्रेडिट दी गई। जो कि नये मीटर की खपत थी।

उपभोक्ता को माह अगस्त 2017 एवं अक्टूबर 2017 में अधिक खपत आने के कारण उपभोक्ता ने मीटर की लैब में जांच कराई। मीटर लैब में सही पाया गया। नवम्बर 2017 से जनवारी 2018 तक नये मीटर की यूनिट खपत को विभाजित कर रू.10895/– की क्रेडिट कर दी गई है उपभोक्ता को मार्च 2018 में जमा योग्य राशि रू. 30713/– है।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :**–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 22.03.2018 को अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि आवेदक के बिल में नियमानुसार सुधार कर दिया गया है। संशोधित बिल की प्रति जबाव के साथ संलग्न है। इस तरह शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हेतु कुछ समय प्रदान करने का कष्ट करे। जिसे फोरम ने स्वीकार कर प्रकरण की आगामी तिथि 12.04.2018 को नियत की गई।

दिनांक 12.04.2018 को आवेदक प्रतिनिधि श्री राजेश मित्तल अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अनावेदक ने जो क्रेडिट देना बताया है वह क्रेडिट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नही हो रही है। यदि अनावेदक को आदेश करे कि वह आवेदक को क्रेडिट के सम्बंध में गणना पत्रक के साथ दिया जावे ताकि आवेदक को उसकी जानकारी हो। माननीय फोरम आवेदक की उक्त आपत्ति को निर्णय के समय समाधान हेतु सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निराकरण करते है तो आवेदक के प्रकरण का निराकरण अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजो के आधार पर मान्य है।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर क्रमांक 85326 का डिस्प्ले माह दिसम्बर 2014 में खराब होने के कारण अनावेदक द्वारा आवेदक को आंकलित खपत के विद्युत देयक माह जनवरी 2015 से अप्रैल 2017 तक जारी किये। जिनका आवेदक द्वारा 6 माह से 3 माह के अंतराल में भुगतान किया गया। आवेदक का खराब मीटर दिनांक 01.04.2017 को बदल कर नया मीटर क्रमांक 005–00024799 प्रारंभिक रीडिंग 0000 पर लगाया गया। नये मीटर में 01.04.2017 से 03.10.2017 तक प्रतिमाह औसत खपत लगभग 459 यूनिट दर्ज हुई। अनावेदक द्वारा माह जनवरी 2015 से जून 2016 तक आंकलित खपत के जारी विद्युत देयक लगभग मीटर के सही कार्य करने की अवधि के तीन माह की औसत खपत के बराबर है। जो कि नियमानुसार है। माह जुलाई 2016 एवं अगस्त 2016 के विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 2357/– की क्रेडिट आवेदक को दी गई है। माह अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक के विद्युत देयको में लगी आंकलित खपत हटाकर नये मीटर में दर्ज खपत के तीन माह के औसत के लगभग 300, 250 यूनिट खपत लेकर विद्युत देयक संशाधित किये जाकर आवेदक को रूपये 8910 की क्रेडिट दी गई है। (जो कि आवेदक के पूर्व मीटर में दर्ज खपत का पेटर्न एवं नये मीटर 01.04.2017 के स्थापित मीटर में दर्ज खपत के पेटर्न लगभग बराबर है।)

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

माह मई 2017 से जुलाई 2017 तक 10 जून को मीटर में दर्ज इक्ट्ठी खपत 967 यूनिट को बराबर 3 माह में विभाजित कर प्रतिमाह विद्युत खपत 322, 322 एवं 323 यूनिट लेकर विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत 5899 रूपये की क्रेडिट आवेदक को दे दी गई है। माह नवम्बर 2017 से दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 के माह में 03.10.2017 को स्थापित मीटर में दर्ज इक्ट्ठी खपत को बराबर 3 माह में विभाजित कर माह नवम्बर 2017, दिसम्बर 2017 में 164 एवं जनवरी 2018 में 165 यूनिट विद्युत खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 10895/– की क्रेडिट आवेदक को दी गई है। इस प्रकार आवेदक को

दिनांक 19.09.2016 को रूपये 2357/–
दिनांक 18.03.2017 को रूपये 8910/–
दिनांक 23.09.2017 को रूपये 5899/–
दिनांक 06.03.2018 को रूपये 10895/–
रूपये 28061/–

की क्रेडिट समायोजन उसके विद्युत देयकों में किया गया है। जो कि न्याय संगत एवं नियमों के अनुसार है।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 21.04.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) सदस्य (राजस्व एवं लेखा)

(एस.एस.मंडलोई) सदस्य (अभियांत्रिकी)

(राजीव अग्रवाल) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 49/2017

17.10.2017

श्री ब्रजेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश कुमार,
23, नेहरू नगर कॉलोनी, **(आवेदक)**
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 19.04.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/49 दि. 17.10.17 को पंजीकृत कर दि. 10.11.17, 08.12.17, 11.01.18, 08.02.18, 09.02.18 एवं 22.03.18 एवं 12.04.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर माह मई में मीटर चेंज होने के बाद अभी तक जॉच नहीं हुई एवं फरवरी एवं जून माह का बिल अपेक्षा से ज्यादा क्रमशः रूपये 1816/– एवं 1647/– आने के बाबत् एवं आंकलित खपत व एवरेज बिल आने के बाद सुनवाई नहीं करने बाबत् और कहीं और का निकला हुआ पुराना मीटर लगाने एवं बिल सुधार कर अतिरिक्त चार्ज हटाने बाबत् शिकायत की गई थीं।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता श्री ब्रजेश कुमार जैन, 23, नेहरू नगर कॉलोनी, थाटीपुर के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 6290892000 की शिकायत के तारतम्य में निवेदन हैं कि उपभोक्ता के यहॉ

प्रकरण में माह 11.05.2017 को विजिलेंस विंग द्वारा कनेक्शन के निरीक्षण के दौरान मीटर जब्त किया गया था तथा उक्त मीटर एल.टी./एम.टी. लेब में चैक किया गया एवं परीक्षण के दौरान मीटर स्लो पाया गया। उपभोक्ता की शिकायती आवेदन के अनुसार माह जुलाई 17 से नवम्बर 17 तक विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर बिल सुधार कर दिया गया हैं। उक्त संशोधन के फलस्वरूप उपभोक्ता के बिल में रूपये 19943/– की क्रेडिट दी जा चुकी हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का पूर्णरूपेण निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु अनुरोध हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** आवेदक श्री ब्रजेश जैन/श्री कैलाश कुमार जैन, 23 नेहरू नगर कॉलोनी, थाठीपुर, ग्वालियर में एक घरेलू एक फेज विद्युत संयोजन क्रमांक 2424903–33–21–6290892000, संयोजित विद्युत भार 3000 वॉट हैं, का विद्युत मीटर माह मई में मीटर बदलने के बाद मीटर की जॉच अभी तक नहीं हुई एवं माह फरवरी 2017 एवं जून 2017 में क्रमशः 1816 यूनिट एवं 1647 यूनिट का विद्युत बिल दिया गया तथा आंकलित खपत एवं एवरेज यूनिट लगाकर दिये गये। विद्युत बिलों के बाबद सुधार हेतु निवेदन करने पर कोई सुनवाई नहीं की गई। तथा हमारे यहॉ कहीं ओर से निकला पुराना मीटर लगाया गया। अतः विद्युत बिलों में सुधार करने एवं अतिरिक्त लगाये गये चार्ज को हटाने के लिये यह आवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उपभोक्ता के यहॉ दिनांक 11.05.2017 को सतर्कता (विजिलेंस) विभाग द्वारा चैकिंग की गई थीं एवं उक्त मीटर एल.टी./एम.टी. लेब में चैक किया गया जिसमें परीक्षण रिपोर्ट अनुसार मीटर 20% धीमा पाया गया। उपभोक्ता के आवेदन पत्र के निराकरण हेतु जुलाई 17 से नवम्बर 17 तक लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर दिसम्बर 2017 में मीटर में आई खपत को विभाजित कर रूपये 19943/– की क्रेडिट दी गई एवं इसके पूर्व शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

अनावेदक द्वारा प्रकरण के निराकरण में आवश्यक दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण अनावेदक को अगली पेशी पर चाही गई जानकारी फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 12.4.18 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष (1) आवेदक के परिसर की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (2) मीटर परीक्षण रिपोर्ट (3) मीटर परिवर्तन रिपोर्ट एवं (4) उपभोक्ता पासबुक फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं फोरम से निवेदन किया कि उनकी ओर से आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अब प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत फोरम ने यह पाया कि आवेदक के विद्युत संयोजन की मीटर डायरी एवं उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदक का मीटर दिनांक 25.08.2016 को विजिलेंस द्वारा मीटर क्रमांक 3896310 निकाल कर दूसरा मीटर क्रमांक 3780358 रीडिंग 7125 पर लगाया गया। यह मीटर 25.08.2016 से 11.05.2017 तक आवेदक के परिसर पर स्थापित रहा। अतः आवेदक की मुख्य शिकायत दिनांक 25.08.2016 को स्थापित मीटर क्रमांक 03780358, मीटर में प्रारंभिक वाचन 7125 पर स्थापित किया गया था तथा यह मीटर कहीं और स्थान से निकाला हुआ पुराना मीटर में दिनांक 25.08.2016 से 10 मई 2017 की अवधि में माह फरवरी 2017 एवं जून 2017 में मीटर में दर्ज खपत क्रमशः 1816 एवं 1647 यूनिट इकठ्ठी से हैं।

आवेदक के निवेदन पर अनावेदक द्वारा मीटर क्रमांक 03780358 दिनांक 11.05. 2017 को रीडिंग 12349 पर निकाल कर नया मीटर क्रमांक 0005290 रीडिंग 0008 पर लगाया गया एवं मीटर क्रमांक 03780358 को मीटर परीक्षण प्रयोगशाला, ग्वालियर में मीटर का परीक्षण दिनांक 23.10.2017 को किया गया। मीटर परीक्षण प्रयोगशाला की मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का विद्युत मीटर की कार्य प्रणाली सही पाई गई। अतः सितम्बर बिल्ड अक्टूबर 2016 से मई बिल्ड जून 2017 की 9 माह की अवधि में मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत 5224 यूनिट को 9 माह में विभाजित कर आवेदक को प्रतिमाह लगभग 580 यूनिट खपत होती हैं। अतः आवेदक के उक्त अवधि में लगाई गई आंकलित खपत एवं इकठ्ठी रीडिंग के जारी विद्युत देयकों को निरस्त कर 580 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत लेकर आवेदक के विद्युत देयक जारी किये जाना चाहिये।

दिनांक 11.05.2017 को आवेदक के परिसर में नया मीटर क्रमांक 005290 एस. आर. एफ.आर माह जून बिल्ड जुलाई 2017 में की जानी थीं, जो अनावेदक ने नहीं की एवं आवेदक के माह जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 तक आंकलित खपत के विद्युत देयक जारी किये गये, जबकि मीटर में दर्ज रीडिंग अनुसार जारी करना था, जो कि अनावेदक की सेवा में कमी दर्शाता हैं। अतः नये मीटर क्रमांक 005290 में दिनांक 11.05.2017 से 14 नवम्बर 2017 तक की अवधि 6 माह में मीटर में दर्ज इकठ्ठी रीडिंग 5235 हैं। उक्त 6 माह की खपत (5235–0008)= 5227 यूनिट हैं, को 6 माह में विभाजित कर लगभग 871 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर विद्युत देयक संसोधित किये जाने चाहिये, जो कि नियमों के अनुसार एवं न्याय संगत हैं।

फोरम का निर्णय :– 1. सितम्बर बिल्ड अक्टूबर 2016 से मई बिल्ड जून 2017 की अवधि में 9 माह के अनावेदक द्वारा आवेदक को आंकलित खपत एवं मीटर खपत के

जारी विद्युत देयकों को निरस्त कर उक्त अवधि में मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत 5224 यूनिट को 9 माह में विभाजित कर प्रतिमाह 580 यूनिट खपत लेकर आवेदक के विद्युत देयक संशोधित करें।

2. माह जून बिल्ड जुलाई 2017 से नवम्बर बिल्ड दिसम्बर 2017 तक 6 माह की अवधि में अनावेदक द्वारा आवेदक को आंकलित खपत एवं इकठ्ठी खपत के विद्युत देयकों को निरस्त करें एवं इस अवधि में मीटर में दर्ज इकठ्ठी खपत 5227 यूनिट को 6 माह में विभाजित कर प्रतिमाह विद्युत खपत 871 यूनिट लेकर आवेदक के विद्युत देयक संशोधित करें।

आवेदक द्वारा माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 तक की अवधि में अनावेदक द्वारा पूर्व में आंकलित खपत एवं मीटर खपत के जारी विद्युत देयकों की भुगतान की गई राशि को उक्त अवधि माह अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 तक 15 माह के विद्युत देयकों के संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि में समायोजित करने के बाद आवेदक को दी जाने वाली क्रेडिट में से दी जा चुकी क्रेडिट राशि रूपये 19943/– को कम करते हुए भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक आवेदक को जारी करें।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

आदेश की प्रति आवेदक एवं अनावेदक को निःशुल्क दी जावें। अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन फोरम को भेजें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19/04/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री ब्रजेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश कुमार,
23, नेहरू नगर कॉलोनी,
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 19 / 04 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–49 / 2017) दिनांक 17.10.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 19 / 04 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–49 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 19 / 04 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 24 / 03 / 2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 56/2017

17.10.2017

श्रीमती कमला बाई/श्री भुवनेश कुमार,
ग्राम सदलपुर, आंतरी, डबरा **(आवेदक)**

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(संचा./संधा. संभाग), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
डबरा (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 19.04.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/56 दिनॉक 17.10.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 10.11.17, 08.12.17, 11.01.18, 08.02.18, 22.03.18, 23.03.18 एवं 12.04.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-** आवेदिका द्वारा एक आवेदन फोरम को प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थी का जिस डी.पी. से कनेक्शन था वह डी.पी. डेढ़ वर्ष पूर्व हट चुकी हैं। बिल बराबर आ रहा हैं, जबकि मौके पर न तो कोई तार, न खंबा और न कोई डी.पी. से कनेक्शन हैं। मैं लाईन का उपयोग 2 वर्ष से नहीं कर रही हूॅ। फिर भी बिल बराबर आ रहा हैं। फसल हो ही नहीं रही हैं, जब वहॉ लाईट ही नहीं हैं, फिर बिल किस बात का दिया जा रहा हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि जब मौके पर लाईट ही नहीं हैं तो बिल किस बात का दिया जा रहा हैं। अतः बिल बंद करने की कृपा करें। मैं इस संबंध में दो बार आवेदन दे चुकी हूॅ, लेकिन बिल बंद नहीं किया गया हैं।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता श्रीमती कमला बाई पति भुवनेश यादव के द्वारा फोरम में शिकायत की गयी की उसके द्वारा 3 वर्षों से बिजली का उपयोग नहीं किया गया एवं विद्युत बिल बराबर दिये जा रहे है, के संबंध में लेख हैं कि दिनांक 11.04.18 को समय दोपहर 12.00 बजे क्षेत्रीय लाईनमेन रमेश कुशवाहा के साथ उपभोक्ता के खेत का निरीक्षण किया एवं आसपास के लोगों एवं स्वयं उपभोक्ता के बड़े भाई श्री केदार यादव के द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता द्वारा तार टूट जाने के बाद भी विद्युत का उपयोग बराबर किया जा रहा हैं। वर्ष 2016 में बकाया राशि होने पर ट्रांसफार्मर उठा लेने पर उपभोक्ता द्वारा 100 के.व्ही.ए. धर्मूबाबा वाले ट्रांसफार्मर की एल.टी. लाईन से, जो कि केदार यादव के खेत से निकली हैं, से 3 तार डालकर विद्युत का उपयोग बराबर किया जा रहा हैं। पड़ौसी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री भुवनेश के द्वारा वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में गेहूँ की फसल की गई थी एवं उसके द्वारा बिजली का उपयोग भी किया गया है। उपभोक्ता द्वारा बिल जमा न करने की नीयत के कारण माननीय फोरम के समक्ष गलत जानकारी प्रस्तुत की। उक्त मौका स्थल का दिनांक 12.04.2018 को पंचनामा बनाया गया जिस पर श्री भुवनेश यादव के पुत्र श्री जितेन्द्र यादव मौके पर उपस्थित थें एवं भुवनेश के बड़े भाई श्री केदार सिंह भी उपस्थित थें। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि भुवनेश के द्वारा बिजली का उपयोग किया गया हैं। निरीक्षण दल की ओर से कनिष्ठ यंत्री आनन्द चौरसिया, लाईनमेन रमेश कुशवाहा, रामेश्वर पाल उपस्थित थें। मौके पर शिकायतकर्ता का पुत्र उपस्थित था, जिसने सहर्ष स्वीकार किया कि उसके द्वारा बिजली का उपयोग किया जा रहा है और विगत दो वर्षों से गेहूँ की फसल की जा रही हैं। पंचनामे पर शिकायतकर्ता के पुत्र जितेन्द्र यादव व बड़े भाई केदार यादव द्वारा हस्ताक्षर किये गये। अतः उपभोक्ता के द्वारा की गयी झूठी/असत्य शिकायत को खारिज करने की कृपा करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** दिनांक 11.01.18 को आवेदिका के पति श्री भुवनेश यादव फोरम के समक्ष उपस्थित हुए तथा लिखित एवं मौखिक रूप से फोरम के समक्ष कथन किया कि वर्ष 2016–17 में हमारे गॉव (खेत पर) लाईट नहीं पहुॅची, फिर भी हमको बिल बनाकर दिया गया। वर्ष 2017 में हमारे द्वारा राशि रूपयें 12000/– जमा किये गये, इसके बाद भी हमको वर्ष 2016–17 में लाईट नहीं मिली। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि वर्ष 2016–17 में लाईट न मिलने के बाद भी जो बिल जारी किये गये हैं, उन्हें निरस्त किये जायें एवं हमारे द्वारा जमा राशि रूपये 12000/– को वर्ष 2018 में उपयोग(लाईट के बिल में) में समायोजित की जायें एवं शेष राशि का जो बकाया हों, उसे हम जमा करने को तैयार हैं।

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि ग्राम सदलपुर में स्थित वेगाबाद 63 के.व्ही.ए. वाला ट्रांसफार्मर पर 8 नंबर उपभोक्ताओं पर करीब 3.19 लाख रूपये बकाया होने के कारण उक्त ट्रांसफार्मर को माह अक्टूबर 2016 में बकाया राशि होने पर उठा लिया गया था। उक्त बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं में श्रीमती कमला बाई भी थीं, जिनके ऊपर माह अक्टूबर 2016 में कृषि पंप कनेक्शन पर बकाया राशि रूपये 49407/– थीं। अतः उपभोक्ता द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष असत्य कथन किया गया हैं कि उक्त ट्रांसफार्मर 3 वर्ष पूर्व हटा लिया गया एवं प्रतिनिधि के द्वारा बिजली का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि वहॉ पास में स्थित 100 के.व्ही.ए. धर्मूबाबा वाले ट्रांसफार्मर की निम्न दाब लाईन से डायरेक्ट 3 तार डालकर बिजली का उपयोग बराबर कृषि कार्य में किया जा रहा था। बकाया राशि जमा न करने के कारण उक्त उपभोक्ता की विद्युत लाई काट दी गई, जिसके बाद उपभोक्ता द्वारा कार्यालय में आकर माह अक्टूबर 2016 में ही रूपये 12000/– जमा कराये गये एवं शेष राशि आगामी माहों के बिलों में समयोजित करें। इसके बाद उपभोक्ता द्वारा आज दिनांक तक बिजली का बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, बल्कि श्रीमान अध्यक्ष महोदय के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उल्लेखित किया गया कि 3 वर्षों से (पूर्व) से डी.पी. हटा ली गई है, लाईन व खंबे नहीं हैं, बिजली का उपयोग नहीं हो रहा हैं एवं विद्युत विभाग द्वारा बराबर बिल दिया जा रहा हैं, के संबंध में उपभोक्ता के बोर(ट्यूबवेल) का (परिसर) का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण में पाया गया कि उपभोक्ता वर्तमान समय में भी 100 के.व्ही.ए. धर्मूबाबा वाले ट्रांसफार्मर की निम्न दाब लाईन से 3 तार डालकर विद्युत का उपयोग करता पाया गया, जिसका मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया, जिस पर स्वयं अधोहस्ताक्षरकर्ता, क्षेत्रीय लाईनमेन व अकुशल कर्मचारी के हस्ताक्षर हैं। मौके पर उपस्थित पड़ौसी द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। उक्त की गई कार्यवाही की मौके पर ही विडियोग्राफी भी की गई। उपभोक्ता द्वारा बकाया बिल की राशि जमा नहीं करने की नीयत के कारण माननीय फोरम के समक्ष मिथ्या शिकायत प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रकरण को समाप्त करने हेतु निवेदन हैं।

आवेदिका प्रतिनिधि ने दिनांक 22.03.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर एक पंचनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि वर्ष 2016 एवं 2017 में विद्युत पंप का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि डी.पी. खराब थी। इस वर्ष एक अन्य डी.पी. धर्मूबाबा से उपयोग किया हैं।

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

अनावेदक ने दिनांक 12.04.2018 को प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता द्वारा बिजली का उपयोग मौके पर 100 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर धर्मूबाबा वाले की निम्न दाब लाईन, जो कि केदार यादव के खेत से निकली हैं, से 3 तार डालकर विद्युत का उपयोग लगभग 700–800 फीट दूर ले जाकर सिंचाई का कार्य, गेहूँ की फसल के लिये किया गया था। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग गेहूँ की फसल के रूप में किया गया था। बोर (नलकूप) पर शिकायतकर्ता के पुत्र श्री जितेन्द्र यादव एवं उपभोक्ता के बड़े भाई श्री केदार सिंह भी उपस्थित थें। उन्हीं के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया, जिस पर उपभोक्ता के पुत्र एवं उनके भाई के हस्ताक्षर हैं। उनके द्वारा सहर्ष स्वीकार किया कि उपभोक्ता द्वारा मेरे खेत से तार डालकर बिजली का उपयोग पूर्व में भी किया गया था और वर्तमान में भी किया जा रहा हैं। अतः उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत निराधार हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें। यही फोरम से निवेदन हैं।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदिका का कृषि पंप(ट्यूबवेल) विद्युत संयोजन जिस ट्रांसफार्मर, वेगावाद 63 के.व्ही.ए. पर 8 नंबर कृषि पंप उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय किया जाता था, पर वर्ष 2016–17 में रूपये 319000/– राशि बकाया होने के कारण अक्टूबर 2016 में यह ट्रांसफार्मर अनावेदक द्वारा बकाया राशि वसूल करने हेतु उतार लिया गया था । आवेदिका को भी इस ट्रांसफार्मर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा था एवं उस पर भी बकाया राशि रूपये 49407/– थीं। आवेदिका द्वारा आंशिक भुगतान रूपये 12000/– रसीद क्रमांक 1729/049, दिनांक 25.10.2016 को किया गया। 63 के.व्ही.ए. बकाया राशि वाले ट्रांसफार्मर को उतार लिये जाने के बाद उसकी निम्न दाब लाईन टूट जाने के कारण आवेदिका द्वारा वर्ष 2016 में 100 के.व्ही.ए. धर्मूबाबा वाले ट्रांसफार्मर की निम्न दाब लाईन, जो कि केदार यादव के खेत से गुजरती हैं, पर 700–800 फीट दूर 3 तार डालकर विद्युत का उपयोग बराबर किया जा रहा हैं। पड़ौसी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री भुवनेश, जो कि आवेदिका के पति हैं, के द्वारा वर्ष 2016 में, 2017 में एवं 2018 में गेहूँ की फसल की गई थीं तथा उसके द्वारा विद्युत का उपयोग भी किया गया हैं, जिसकी पुष्टि पंचनामा से भी होती हैं तथा आवेदिका प्रतिनिधि श्री भुवनेश यादव द्वारा स्वयं वर्ष 2018 में विद्युत का उपयोग स्वीकारा गया एवं वर्ष 2016, 2017 के बिल का भुगतान किया, उस राशि को वर्ष 2018 में विद्युत के उपयोग की गई,

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

बिल की राशि में समायोजित करना स्वीकार किया गया हैं। अतः पंचनामा क्रमांक 112980/10 दिनांक 11.04.2018 के अनुसार आवेदिका द्वारा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में भी गेहूँ की फसल हेतु अपने विद्युत पंप से विद्युत का उपयोग किया गया हैं, जिसकी पुष्टि आवेदिका पति श्री भुवनेश यादव एवं उनके बड़े भाई श्री केदार यादव के खेत 100 के.व्ही.ए. के ट्रांसफार्मर की निम्न दाब लाईन पर तीन तार डालकर विद्युत का उपयोग किया गया हैं।

अतः आवेदिका के विद्युत बिल की बकाया राशि के भुगतान से बचने की नीयत से यह प्रकरण फोरम में दर्ज किया हैं तथा आवेदिका फोरम के समक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाई कि उनके द्वारा वर्ष 2016–17 में विद्युत का उपयोग नहीं किया गया हैं। इसलिये फोरम आवेदिका की शिकायत को निरस्त करता हैं।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का अनावेदक द्वारा निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 19/04/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्रीमती कमला बाई / श्री भुवनेश कुमार,
ग्राम सदलपुर, आंतरी, डबरा
जिला ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 19 / 04 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–056 / 2017) दिनांक 17.10.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 19 / 04 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(संचा. / संधा. संभाग), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., डबरा (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–056 / 2017 दिनांक 17.10.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 19 / 04 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 77/2017

12.12.2017

श्री शिवचरण लाल पुत्र श्री मुन्नालाल,
पथरोलिया भवन, कंपू, चना कोठार,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र) **(आवेदक)**

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.) **(अनावेदक)**

आदेश

आज दिनांक .....04.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/77 दिनॉक 12.12.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.01.18, 08.02.18, 09.02.18, 23.03.18 एवं 12.04.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-** यह कि मीटर घर के बाहर लगा हैं, मीटर की रीडिंग चालू हैं। कार्यालय द्वारा आंकलित खपत का बिल जारी किये गये, जिन्हें जमा किया गया। 10 अगस्त 2017 को त्रुटिपूर्ण बिल कार्यालय ने आवेदक को रूपये 20428/- का जारी किया, जिसके कारण आवेदक को मानसिक तकलीफ दी गई। आवेदक ने 10.08.17 दोपहर कार्यालय अधिकारी को त्रुटिपूर्ण बिल बताया, अधिकारी महोदय ने बिल पर सुधार हेतु बाबू(लिपिक) के लिये टीप अंकित की। आवेदक के टीप अनुसार जनवरी 2017 से

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

अगस्त 2017 तक के जमा बिल की फोटो कॉपी प्रस्तुत की, जिसका निराकरण दिनांक 16 अगस्त 2017 सुबह 11 बजे तक नहीं किया गया। आवेदक ने पुनः अधिकारी महोदय से 10,000/– रूपये जमा करने के लिये PP आदेश करने का निवेदन किया। अधिकारी महोदय के आदेश से रूपये 10,000/– 16.08.2017 को 11.30 बजे जमा किये। अतः निवेदन हैं कि जारी बिल से अधिक राशि (पेनल्टी) हटाई जायें एवं कुल जमा राशि 18917/– रूपये जारी बिल से हटाया जावें तथा अन्य रीडिंग त्रुटिपूर्ण सुधारी जायें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)
निरंतर ....
पेज – 04 प्र.क्र. जी. टी–077

फोरम का निर्णयः–

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का अनावेदक द्वारा निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : ...../04/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री शिवचरण लाल पुत्र श्री मुन्नालाल,
पथरोलिया भवन, कंपू, चना कोठार,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक ..... / 04 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–77 / 2017) दिनांक 12.12.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक ..... / 04 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–77 / 2017 दिनांक 12.12.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक ..... / 04 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 80/2017

14.12.2017

श्रीमती ऊषा तोमर पत्नी श्री जयसिंह तोमर,
ए–3, पुरूषोत्तम विहार कॉलोनी, भिण्ड रोड, गोले का मंदिर **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 20.04.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/80 दिनॉक 14.12.17 को पंजीकृत कर दिनॉक 12.01.18, 08.02.18, 22.03.18 एवं 12.04.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** यह कि बिल क्रमांक बीआरओ 157/3790 में पिछले बिल की राशि जोड़कर बिल दिया गया हैं। पिछले बिल का बीआरओ 757/550हैं। जो बिल मेरे द्वारा समय सीमा में भरा जा चुका था और जब मुझे बीआरओ 157/3790 प्राप्त हुआ तो उसमें बिल की राशि पेनल्टी सहित जोड़कर दिया गया है। कृपया आपसे निवेदन हैं कि मेरे पिछले बिल की राशि जो मेरे द्वारा भरी जा चुकी हैं, उसे हटाकर सही बिल देने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मेरे द्वारा समय सीमा में माह नवम्बर 17 का बिल भरने

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

के बावजूद भी उस बिल की राशि अगले माह दिसम्बर 17 के बिल में लगकर आई थी। उपभोक्ता द्वारा उक्त राशि को ही समायोजित करने के संबंध में फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थीं। चूँकि उपभोक्ता द्वारा जमा राशि बिल में जमा कराई गई थीं अगले बिल में लग जाने के कारण सुधार कर उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा चुका हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण प्रकरण समाप्त करने हेतु अनुरोध हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** दिनांक 12.01.2018 को आवेदिका प्रतिनिधि श्री जयसिंह तोमर द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि मेरे द्वारा माह सितम्बर 2017 का विद्युत देयक राशि रूपये 4346/– का भुगतान दिनांक 29.09.2017 को कर दिया गया था। इसके पश्चात माह नवम्बर 2017 के विद्युत देयक में माह सितम्बर 2017 की राशि रूपये 4346/– + सरचार्ज के साथ वर्तमान बिल राशि रूपये 3701/– को जोड़कर कुल रूपये 8214/– का विद्युत देयक दिया गया था। जिसमें संशोधन कर रूपये 3685/– दिनांक 28 नवम्बर 2017 को भुगतान कर दिया गया था। अतः मुझे उक्त विद्युत देयकों के भुगतान नहीं करने के उपरांत लगे सरचार्ज को हटाया जावें, क्योंकि मैंने उक्त बिलों का भुगतान, बिल भुगतान की नियत तारीख को कर दिया गया था। अतः लगाया गया सरचार्ज हटाया जाकर आगामी बिल में समायोजित किया जावें। फोरम से यही निवेदन हैं।

अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि आवेदिका द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थीं कि मेरे द्वारा समय सीमा में माह नवम्बर 2017 के विद्युत देयक का भुगतान करने के बावजूद भी उक्त बिल की राशि अगले माह दिसम्बर 2017 के बिल में लगकर आई थीं। आवेदिका द्वारा उक्त राशि को ही समायोजित करने के संबंध में फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थीं। चूँकि आवेदिका द्वारा जमा राशि बिल में जमा कराई गई थीं। अगले बिल में लग जाने के कारण सुधार कर आवेदिका की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। इस प्रकार आवेदिका की शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण प्रकरण समाप्त करने हेतु फोरम से निवेदन हैं।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में फोरम के समक्ष किये गये कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदिका द्वारा उसके विद्युत संयोजन क्रमांक 7507203000 के विद्युत देयक माह सितम्बर 2017 में रूपये 4346/– का भुगतान 29 सितम्बर 2017 को कर दिये जाने के उपरांत माह नवम्बर 2017 के विद्युत देयक में सरचार्ज लगाकर राशि रूपये 8214/– का विद्युत देयक जारी किया गया हैं,

जिसे संशोधित करने के उपरांत राशि रूपये 3685/– का भुगतान 28 नवम्बर 2017 को कर दिया गया हैं। अतः आवेदिका को सितम्बर 2017 के विद्युत देयक के भुगतान कर देने के बाद भी अगले माह के विद्युत देयक के साथ सरचार्ज जोड़कर दिया गया हैं, जबकि आवेदिका ने बिल का भुगतान, नियत दिनांक को ही किया गया हैं। अतः उसे सरचार्ज नहीं लगना चाहिये, यहीं आवेदिका की शिकायत हैं।

अनावेदक ने आवेदिका के विद्युत देयकों के भुगतान की नियत दिनांक के पूर्व भुगतान किया गया था। अतः आवेदिका को उसके विद्युत देयक माह सितम्बर 2017 एवं नवम्बर 2017 में लगा सरचार्ज हटाकर अगले माह में किये गये सरचार्ज के भुगतान की राशि को समायोजित करना फोरम के समक्ष स्वीकार किया गया हैं। प्रकरण निराकृत कर समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदिका एवं एक प्रति फोरम को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20/04/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्रीमती ऊषा तोमर पत्नी श्री जयसिंह तोमर,
ए–3, पुरूषोत्तम विहार कॉलोनी, भिण्ड रोड, गोले का मंदिर
ग्वालियर (म.प्र)।

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 04 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–80 / 2017) दिनांक 14.12.2017 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 20 / 04 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–80 / 2017 दिनांक 14.12.2017 में फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 04 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 92/2018

16.01.2018

श्री अमित जेटली उपयोगकर्ता श्री शिवाजीराव,
भोईटे का मकान, बापूदण्डी की गोठ, माधवगंज लश्कर, ग्वालियर (म.प्र) **(आवेदक)**

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 20.04.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।
2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/92 दि. 16.01.18 को पंजीकृत कर दि. 09.02.18, 23.03.18 एवं 12.04.18 को सुना गया।
3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।
4. **आवेदक का कथन :-** यह कि परिसर के बाहर विद्युत मीटर द्वारा गलत रीडिंग दर्शाई गई हैं, जबकि प्रार्थी के यहॉ रीडिंग अनुसार लोड उपयोग नहीं किया जा रहा हैं। अतः निवेदन हैं कि जॉच कराकर मीटर बदलते हुए सही मीटर रीडिंग अनुसार बिल देने की कृपा करें, ताकि उचित विद्युत बिल राशि समय पर जमा की जा सकें।
5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि उपभोक्ता श्री शिवाजी राव, सर्विस नं. 5990762000 के बिल में माह मार्च 17 में राशि रूपये 3472/- कम कर दिये गये थे। अप्रैल 17 में समाधान योजना में के कम किये गये थें। उसके बाद प्रतिमाह रीडिंग का बिल आ रहा हैं। डायरी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपभोक्ता लाईट डायरेक्ट जला रहा हैं और माह अगस्त 17 में बिल भी जमा नहीं किया गया।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

नवम्बर 17 तथा दिसम्बर 17 में जो आंकलित खपत लगी थीं, वह लोड के आधार पर कम करने पर राशि रूपये 4920/– की क्रेडिट दी गई हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षाः**–आवेदक ने दि. 22.03.18 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि मेरा विद्युत मीटर खराब होने से माह अगस्त 17 से गलत रीडिंग का विद्युत बिल दिया गया है, जो कि आगे आज तक मीटर जला आ रहा हैं। अतः मुझे मीटर में दर्ज खपत अनुसार एवं जितने दिन मीटर बंद(खराब) रहा, उस अवधि के विद्युत बिल मीटर सही चलने की अवधि के 3 माह की खपत का औसत लेकर विद्युत देयक संशोधित किये जावें, ताकि मैं उनका भुगतान कर सकूँ। मेरा विद्युत मीटर, जो खराब था बदल दिया गया हैं।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि मार्च 17 में आंकलित खपत को कम कर रूपये 3472/– की क्रेडिट दी गई हैं। माह नवम्बर 17 तथा दिसम्बर 17 में जो आंकलित खपत लगाई गई थीं, लोड के आधार पर कम कर राशि रूपये 4920/– की क्रेडिट दी गई हैं।

फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया कि अगली पेशी पर आवेदक का खराब मीटर बदल कर नया मीटर लगाने की रिपोर्ट, उपभोक्ता पासबुक फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें। दि. 12.04.18 को अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष मीटर टेस्ट रिपोर्ट एवं उपभोक्ता पासबुक दो दो प्रतियों में फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसकी एक प्रति आवेदक को दी गई एवं एक प्रति फाईल में नस्ती की गई।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनों की विवेचना करने पर यह पाया गया कि आवेदक की मीटर डायरी एवं उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदक का मीटर 14 नवम्बर 2015 में मीटर में दर्ज रीडिंग 17780 के बाद से 15 अप्रैल 17 तक मीटर में दर्ज रीडिंग 17780 एवं मीटर में दर्ज खपत 0 तथा उन्हें उक्त अवधि में प्रत्येक माह आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक आवेदक को जारी किये गये। दिसम्बर 15 से मार्च 17 तक की अवधि में आवेदक द्वारा दिनांक 31 मार्च 16 को रूपये 5000/– का भुगतान किया गया। माह मार्च 17 में रूपये 3472/– कम कर दिये गये थें। माह अप्रैल 17 में आवेदक को बकाया समाधान योजना के तहत उसे बकाया राशि एवं सरचार्ज में छूट देकर बकाया राशि का समायोजन कर समाधान कर दिया गया था। इसके पश्चात आवेदक को मीटर खराब होने के उपरांत रीडिंग लेते हुए माह मई 17, जून 17, जुलाई 17, अगस्त 17, सितम्बर 17 एवं अक्टूबर 17, दिसम्बर 17 में मीटर में दर्ज खपत के बिल दिये गये। आवेदक द्वारा माह अगस्त 17 में 505 यूनिट खपत के विद्युत बिल दिये जाने पर अनावेदक से मीटर खराब होने की शिकायत की गई

एवं मीटर बदल कर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार बिल देने का निवेदन किया गया, जिस पर अनावेदक ने आवेदक के परिसर का निरीक्षण दि. 25.10.17 को किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के परिसर में मीटर क्रमांक 564044 मेक नाकोड़ा क्षमता 5.30 एम्पियर लगा पाया गया, मीटर डिस्प्ले खराब हैं, मीटर परिसर के बाहर लगा हैं। सर्विस लाईन आर्मड केबल, रिमार्क में मीटर डिस्प्ले खराब हैं, मीटर बदला जावें, अंकित है तथा परिसर का विद्युत भार 384 वॉट अंकित हैं। अतः उपरोक्त विवेचना उपरांत फोरम इस नतीजे पर पहुॅचा हैं कि आवेदक का विद्युत मीटर 14 नवम्बर 15 से ही खराब था। आवेदक को फरवरी बिल्ड इन मार्च 17 तक की स्थिति में आवेदक की बकाया राशि समाधान योजना के तहत बकाया राशि की राहत देते हुए विद्युत देयकों का समाधान कर दिया गया हैं। अतः आवेदक को माह अप्रैल 17 से दिसम्बर 17 की अवधि में जारी समस्त आंकलित खपत के विद्युत देयक निरस्त करने योग्य हैं, जिन्हें फोरम निरस्त करता हैं। माह अप्रैल 17 से दिसम्बर 17 तक के विद्युत देयक दि. 29.10.17 को आवेदक के परिसर में स्थापित नये मीटर क्र. 00061439 में दर्ज तीन माह की खपत का औसत लेकर प्रति माह खपत लेकर माह अप्रैल 17 से दिसम्बर 17 तक के विद्युत देयक संशोधित करना फोरम उचित मानता हैं, जो कि नियमों के अनुसार एवं न्याय संगत है।

फोरम का निर्णयः– 1. माह अप्रैल 17 से दिसम्बर 17 तक जारी समस्त विद्युत देयक निरस्त किये जायें।

2. माह अप्रैल 17 से दिसम्बर 17 तक के विद्युत देयक नये मीटर में दर्ज खपत माह जनवरी 18, फरवरी 18 एवं मार्च 18 में क्रमशः 80, 40 एवं 39 यूनिट के औसत 53 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर एवं उक्त अवधि में मीटर किराया न लिया जाकर संशोधित करें एवं संशोधन उपरांत आवेदक को दी जाने वाली क्रेडिट में से पूर्व में दी गई क्रेडिट रू. 4920/– को कम करते हुए भुगतान योग्य राशि में से अप्रैल 17 से दिसम्बर 17 की अवधि में आवेदक द्वारा विद्युत देयकों के भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के उपरांत भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक जारी करें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20/04/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	**सदस्य(अभियांत्रिकी)**	**अध्यक्ष**

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री अमित जेटली उपयोगकर्ता श्री शिवाजीराव,
भोईटे का मकान, बापूदण्डी की गोठ, माधवगंज
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 04 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–92 / 2018) दिनांक 16.01.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 20 / 04 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–92 / 2018 दिनांक 16.01.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 20 / 04 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

पेज – 02

प्र.क्र. जी. टी–091

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 94/2018

16.01.2018

श्री प्रेमनारायण पुत्र श्री बटई लाल,
बाला की चक्की के सामने, लक्कड़खाना **(आवेदक)**
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग दक्षिण), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 21.04.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/94 दिनॉक 16.01.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 09.02.18, 22.03.18 एवं 12.04.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-** यह कि प्रार्थी वर्षों से किराये के मकान में रहकर पल्लेदारी करता हैं। प्रार्थी का मीटर रीडर न आने के कारण जून, जुलाई में कोई बिल नहीं आया था। प्रार्थी के बच्चे ने कंपू जोन में अवगत कराया था, तब उसे मीटर की बिना रीडिंग देखें 1130 यूनिट, जबकि मीटर में रीडिंग उस समय 530 यूनिट थीं। इस तरह 314 यूनिट का बिल जुलाई में दिया गया, जो कि बच्चे ने उक्त बिल बिना मीटर रीडिंग देखें भर दिया। अगस्त 17 में 300 यूनिट का बिल आंकलित खपत तथा स्पॉट बिलिंग अगस्त, सितम्बर में 1130 यूनिट का बिल दिया जाता रहा है। इस तरह प्रार्थी द्वारा जुलाई माह में 314 यूनिट

का बिल राशि 3030 का बिल आगामी माह में समायोजित करने की कृपा करें। वर्तमान में मीटर रीडिंग दिनांक 11.10.17 को 1014 यूनिट हैं। इस तरह प्रार्थी का माह जुलाई 17 में 314 यूनिट का बिल आगामी माह में समायोजित किये जाने की कृपा करें। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का जुलाई माह में 314 यूनिट का बिल राशि 3030 को आगामी बिलों में समायोजित करने की कृपा करें, चूँकि बिना मीटर रीडिंग 1130, जुलाई 17 को दिया गया था, उस समय प्रार्थी का 630 यूनिट था, दिनांक 11.10.17 को वर्तमान रीडिंग 1014 हैं।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता श्री प्रेमनारायण सर्विस क्रमांक 9359262000 के बिल में चेक करने पर पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर जून 2017 में बदला गया था तथा दिसम्बर में रीडिंग आ गई थीं। अतः जुलाई 2017 से नवम्बर 2017 तक आंकलित खपत को कम करके रीडिंग को विभाजित कर दिया गया हैं, जिसकी क्रेडिट राशि रूपये 11951/– दी जा चुकी हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** दिनांक 09.02.18 को आवेदक प्रतिनिधि श्री आलोक शर्मा अधिवक्ता फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं कथन किया कि मेरे घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424305–45–7–9359262000, संयोजित विद्युत भार 2000 वॉट के विद्युत मीटर में रीडिंग न आने के कारण जोन पर जाकर डुप्लीकेट बिल निकलवाया गया जो कि हाथ से बनाकर मुझे रीडिंग 314 यूनिट राशि रूपये 3030/– का बिल दिया गया। बिना मीटर रीडिंग के जो बिल दिया गया था, उसमें लिखा गया था वर्तमान रीडिंग 1130, जबकि मीटर में वास्तविक रीडिंग 0630 थीं। उक्त बिल जमा करने के पश्चात फिर अगस्त 2017 में मुझे 300 यूनिट आंकलित खपत का बिल राशि रूपये 2221/– का दिया गया। फिर अगस्त 2017 में ही स्पाट बिलिंग द्वारा 231 यूनिट राशि रूपये 1765/– का बिल दिया गया। इसी प्रकार माह सितम्बर 2017 में 282 यूनिट आंकलित खपत का राशि रूपये 2109/– का बिल दिया गया। फिर अक्टूबर 2017 में आंकलित खपत 271 यूनिट का राशि रूपये 2036/– का बिल दिया गया, जिसको मेरे द्वारा सी.एम. हेल्प लाईन में शिकायत की गई तो विभाग द्वारा दबाव बनाने के लिये मुझे माह नवम्बर 2017 में राशि रूपये 18714/– का बिल दिया गया। सी.एम. हेल्प लाईन में शिकायत करने के पश्चात मुझे संशोधित बिल राशि रूपये 7708/– का बिल दिया गया। तब बिल में आंकलित खपत को न हटाते हुए बिल दिया तो मेरे द्वारा माननीय फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें फोरम से निवेदन हैं कि माह जुलाई 2017 में रीडिंग 1130 थीं, का

बिल मेरे द्वारा जमा किया गया, उस रीडिंग को कम करने के पश्चात शेष बची हुई रीडिंग का मैं बिल देने को तैयार हूँ, यहीं मेरा निवेदन हैं।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि माह जून 2017 में आवेदक का विद्युत मीटर बदल दिया गया हैं। जुलाई 2017 से नवम्बर 2017 तक बिल में जो आंकलित खपत लगाई गई थीं, माह दिसम्बर 2017 में इकठ्ठी रीडिंग आने के बाद आंकलित खपत को हटाते हुए क्रेडिट राशि रूपये 11951/– का समायोजन किया जा चुका हैं। माह फरवरी 2018 में नये मीटर की रीडिंग 1356 यूनिट का बिल आवेदक को राशि रूपये 7491/– का दिया गया, जो लिखित जवाब के साथ संलग्न हैं एवं आवेदक की इकठ्ठी आई रीडिंग को भी विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

अनावेदक को निर्देशित किया गया कि आगामी पेशी पर मीटर परिवर्तन रिपोर्ट एवं उपभोक्ता पासबुक, जिसमें बिलिंग विवरण होता हैं, फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

दिनांक 22.03.2018 को फोरम के समक्ष उपभोक्ता पासबुक एवं मीटर परिवर्तन रिपोर्ट 2 प्रतियों में प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति आवेदक को दी गई एवं एक प्रति प्रकरण फाईल में नस्ती की गई।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर क्रमांक 2157121 मेक बेनटेक क्षमता 5.30 एम्पियर, दिनांक 02.06.2017 को रीडिंग 992 पर निकाल कर नया मीटर क्रमांक 00034337, मेक एच.बी. ओवन, क्षमता 5–30 एम्पियर, रीडिंग 0002.5 पर लगाया गया।

आवेदक को माह जुलाई 2017 का विद्युत देयक रीडिंग नहीं होने के कारण अनावेदक ने बिना मीटर रीडिंग के आंकलित खपत 314 यूनिट रूपये 3030/– जारी किया, जिसका आवेदक द्वारा भुगतान कर दिया गया। इसके पश्चात अनावेदक द्वारा अगस्त 2017 से अक्टूबर बिल्ड इन नवम्बर 2017 तक के विद्युत देयक मीटर रीडिंग न लेकर आंकलित खपत के बिल आवेदक को जारी किये गये, जिसका आवेदक द्वारा भुगतान नहीं किया गया एवं माह नवम्बर बिल्ड इन दिसम्बर 2017 में नये मीटर की इकठ्ठी रीडिंग 1231 लेकर विद्युत खपत 1229 यूनिट का विद्युत देयक आवेदक को जारी किया गया। यहीं आवेदक की शिकायत हैं।

आवेदक का पुराना मीटर क्रमांक 2157121 , दिनांक 02.06.107 को अंतिम रीडिंग 992 पर निकाला गया एवं नया मीटर क्रमांक 00034337 प्रांरभिक रीडिंग 0002.5 पर

लगाया गया। अतः आवेदक को जून बिल्ड इन जुलाई 2017 का विद्युत देयक पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 992 एवं पूर्व माह मई बिल्ड इन जून 2017 की रीडिंग 816 के अंतर (992 – 816 = 176) 176 यूनिट का विद्युत देयक जारी किया जाना चाहिये था, जो कि अनावेदक ने नहीं किया। इसके पश्चात माह अगस्त 2017 से नवम्बर 2017 तक नये मीटर की रीडिंग न लेकर उक्त अवधि के विद्युत देयक आंकलित खपत लगाकर जारी किये गये एवं माह दिसम्बर का विद्युत देयक नये मीटर में दर्ज इकठ्ठी रीडिंग लेकर 1229 यूनिट का विद्युत देयक आवेदक को जारी किया गया। अनावेदक की यह गतिविधि सेवा में घोर कमी को प्रदर्शित करता हैं।

आवेदक के नये मीटर क्रमांक 00034337 में इकठ्ठी दर्ज रीडिंग दिनांक 20 नवम्बर 2017 को 1231 हैं। अतः माह जुलाई बिल्ड इन अगस्त 2017 में दर्ज खपत (1231 – 2.5 = 1228.5) 1229 यूनिट को बराबर 5 माहों में विभाजित कर प्रति माह विद्युत देयक लगभग 246 यूनिट लेकर आवेदक के विद्युत देयक माह अगस्त 2017 से दिसम्बर 2017 तक 5 माह के संशोधित करना चाहिये, जो कि नियमों के अनुसार एवं न्याय संगत हैं।

6. **फोरम का निर्णयः–** 1. माह जुलाई 2017 का विद्युत देयक 176 यूनिट खपत लेकर संशोधित किया जायें।

2. माह अगस्त 2017 से दिसम्बर 2017 तक 5 माह के विद्युत देयक प्रतिमाह विद्युत खपत 246 यूनिट लेकर संशोधित करें। जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक 6 माह के विद्युत देयकों के संशोधन उपरांत दी जाने वाली क्रेडिट राशि में से पूर्व में दी जा चुकी क्रेडिट राशि रूपये 11591/– को कम करते हुए तथा जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 की अवधि में आवेदक द्वारा विद्युत देयक की भुगतान की गई राशि को संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि में समायोजित करने के उपरांत भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक आवेदक को जारी करें।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 21/04/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री प्रेमनारायण पुत्र श्री बटई लाल,
बाला की चक्की के सामने, लक्कड़खाना
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 16 / 01 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–94 / 2018) दिनांक 16.01.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 21 / 04 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–98 / 2018 दिनांक 16.01.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 04 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

फोरम का निर्णयः–1.

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का अनावेदक द्वारा निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 24 / 03 / 2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री प्रेमनारायण पुत्र श्री बटई लाल,
बाला की चक्की के सामने, लक्कड़खाना
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 16 / 01 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–94 / 2018) दिनांक 16.01.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 21 / 04 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

2. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग दक्षिण), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–98 / 2018 दिनांक 16.01.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 04 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

पेज – 02

प्र.क्र. जी. टी–091

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 98/2018

16.01.2018

श्रीमती लक्ष्मी शिंदे पति श्री हरीराव,
रामनगर, मुरार **(आवेदक)**
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग पूर्व), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 21.04.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/98 दिनॉक 16.01.18 को पंजीकृत कर दिनॉक 08.02.18, 22.03.18, 23.03.18 एवं 12.04.18 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**निवेदन हैं कि मेरे मीटर में अक्षर कट रहें थें, जिसको मैंने बदलने का आवेदन भी दिया था, जिस कारण मुझे 4–5 महीने से आंकलित खपत के विद्युत बिल मुझे प्राप्त हो रहे थें, लेकिन बाद में मुझे मीटर अच्छी तरह से देख के इकठ्ठी रीडिंग का बिल मुझे दे दिया गया। अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन हैं कि मेरे द्वारा जो आंकलित खपत के बिलों का भुगतान कर चुका हूँ, उसे समायोजित करने की कृपा करें। मैं बिजली घर के चक्कर लगा लगा कर त्रस्त हो गया हूँ। मेरा छोटा सा परिसर हैं और मैं भी बुजुर्ग आदमी हूँ। मेरे घर पर मेरी बेटी और पत्नी रहती हैं। इसलिये महोदय मुझे परेशान

करने का कष्ट न करें। मेरी समस्या का समाधान कर दे, जिससे मैं बिल का भुगतान कर सकूँ।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता श्रीमती लक्ष्मी शिंदे/श्री हरीराव, रामनगर, मुरार गली नं. 03 के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 3858403000 में की गई शिकायत के तारतम्य में लेख हैं कि उपभोक्ता द्वारा अपने माह सितम्बर, अक्टूबर एवं दिसम्बर 17 के बिल में लगी आंकलित खपत हटाने हेतु लेख किया है। प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.11.2017 को पुराना मीटर बदला जाकर नया मीटर एस.आर.–002 पर लगाया गया था, जिसकी एसआर/एफआर. सिस्टम में 05.01.18 को की गई है। साथ ही निराकरण हेतु उपभोक्ता के माह सितम्बर, अक्टूबर एवं दिसम्बर 17 में लगी कुल आंकलित खपत 444 यूनिट को हटाया जाकर मिनिमम टेरिफ लिया जाकर सीसीबी द्वारा रूपये 2478/– का क्रेडिट दिया जा चुका हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का पूर्ण रूपेण निराकरण कर दिया गया हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–** दिनांक 08.02.18 को आवेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि मेरे घर में लगे विद्युत संयोजन पर विद्युत मीटर में अक्षर कट रहें हैं, जिसके कारण मीटर में रीडिंग ठीक से पढ़ी नहीं जा रही हैं, जिसके कारण मुझे चार माह से आंकलित खपत लगाकर बिल दिये जा रहे हैं, जिनका भुगतान मेरे द्वारा किया गया हैं। मेरा मीटर बदल दिया गया हैं, इसके पश्चात भी मुझे इकठ्ठी रीडिंग का बिल दिया गया हैं, जिसे संशोधित कर वास्तविक विद्युत खपत का बिल दिया जावें ताकि मैं उनका भुगतान कर सकूँ। मेरे द्वारा पूर्व में आंकलित खपत के बिलों की भुगतान की गई राशि को संशोधन उपरांत मेरे विद्युत बिलों में समायोजित किया जावें। यही मेरा फोरम से निवेदन हैं।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि उपभोक्ता द्वारा माह दिसम्बर 17 के देयक में लगी आंकलित खपत के संबंध में शिकायत की गई थीं। उपभोक्ता का मीटर दिनांक 08.11.2017 को बदला जाकर नया मीटर एस. आर.–002 पर लगाया गया था। साथ ही शिकायत के निराकरण हेतु माह सितम्बर 2017, अक्टूबर 2017, नवम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017 में लगी कुल आंकलित खपत 444 यूनिट को हटाया जाकर मिनिमम टेरिफ लिया जाकर सीसीबी द्वारा रूपये 2478/– का क्रेडिट उपभोक्ता को दिया जा चुका हैं, जिसकी सूचना एवं जानकारी मय दस्तावेजों सहित

दिनांक 22.03.2018 को फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हैं। इस प्रकार उपभोक्ता की शिकायत का पूर्ण रूपेण निराकरण कर दिया गया हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना करने पर यह पाया गया कि आवेदक श्री हरीराव शिंदे/ श्री बाबूलाल शिंदे की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी शिंदे पति हरीराव शिंदे के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424905–53–3–3858403000 संयोजित विद्युत भार 1000 वॉट, रामनगर मुरार ग्वालियर में हैं, पर स्थापित विद्युत मीटर के डिस्प्ले के अंक कटे होने से मीटर की रीडिंग ठीक से नहीं पढ़ी जाने के कारण आवेदक को माह सितम्बर 2017, अक्टूबर 2017, नवम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017 के माहों के विद्युत देयक आंकलित खपत लगाकर दिये गये एवं आवेदक का विद्युत मीटर दिनांक 08.11.2017 को बदल देने के उपरांत भी उसे आंकलित खपत के विद्युत बिल दिये जाने की शिकायत हैं।

आवेदक का विद्युत मीटर दिनांक 08.11.2017 को पुराना मीटर क्रमांक 2021414 मीटर में डिस्प्ले नहीं हैं, निकाला गया एवं नया मीटर क्रमांक 03–00079371 रीडिंग एस. आर.–002 पर लगा दिया गया एवं माह सितम्बर 17, अक्टूबर 17 एवं दिसम्बर 17 के माह में आंकलित खपत क्रमशः 76 यूनिट, 148 यूनिट एवं 220 यूनिट को हटा कर टेरिफ मिनिमम लेकर विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 2478/– की क्रेडिट आवेदक को दी जा चुकी हैं एवं शेष माह के विद्युत देयक मीटर में दर्ज खपत अनुसार जारी किये जा रहे हैं। जिसकी पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत माह फरवरी 2018 के विद्युत देयक से होती हैं।

इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 21/04/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस. मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य(अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्रीमती लक्ष्मी शिंदे पत्नी श्री हरीराव,
रामनगर, मुरार, गली नंबर –03
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 04 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–98 / 2018) दिनांक 16.01.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 21 / 04 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–98 / 2018 दिनांक 16.01.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 04 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

पेज – 02

प्र.क्र. जी. टी–091

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 109/2018

15.02.2018

श्रीमती मीराबाई पत्नी स्व. रामगोपाल जाटव,
करी घाट, ए.बी.रोड, रामाजी का पुरा, **(आवेदक)**
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, केन्द्रीय), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 21.04.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदिका ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी/109दिनांक 15.02.18 को पंजीकृत कर दिनॉक22.03.18 एवं 12.04.18को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**निवेदन हैं किप्रार्थिनी का घरेलू विद्युत सर्विस क्रमांक 3935403–1–936870, आई.वी.आर.एस. क्रमांक 3943540 3936870 हैं, जो लक्ष्मीगंज जोन से लिया गया हैं। यह कि प्रार्थिनी द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन लिया गया था। प्रार्थिनी के घर का उक्त कनेक्शन माह मार्च 2015 में विच्छेदित कर दिया गया। प्रार्थिनी उक्त पते पर कई वर्षों से निवास नहीं कर रही हैं। इस कारण से उपरोक्त विद्युत कनेक्शन का उपयोग नहीं किया गया और न ही कोई बिजली उपयोग में लाई गई। माह जनवरी 2018 में लगभग 52 हजार रूपये का बिल भुगतान करने के लिये आपके द्वारा अवैधानिक रूप

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

से भेजा गया हैं, जबकि प्रार्थिनी के द्वारा उक्त कनेक्शन से बिजली का उपयोग नहीं किया गया हैं तथा उक्त विद्युत कनेक्शन पूर्व में ही आपके द्वारा विच्छेदित किया जा चुका है। तब ऐसी दशा में श्रीमान द्वारा भेजा गया बिल अवैध हैं। यह कि प्रार्थिनी के पति का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है। वह स्वयं गृहिणी हैं और उसका पुत्र मजदूरी कर मुश्किल से मेरा तथा अपना जीवन यापन कर पाता हैं। ऐसी दशा में श्रीमान जी द्वारा दिये गये उक्त अवैध बिल का भुगतान कर पाने में प्रार्थिनी समर्थ नहीं हैं। प्रस्तुत शिकायती आवेदन के साथ प्रार्थिनी ने अपना गरीबी रेखा का राशन कार्ड व अपने पुत्र की मजदूरी कार्ड की फोटोप्रति संलग्न कर दी हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थिनी का आवेदन स्वीकार कर मुझ प्रार्थिनी के पूर्व में विच्छेदित विद्युत कनेक्शन पर माह जनवरी 2018 को जारी बिल का निराकरण करने की कृपा करें तो श्रीमान जी की मुझ गरीब प्रार्थिनी पर अति कृपा होगी।

5. **अनावेदक का कथनः–**प्रकरण क्रमांक 109 श्रीमती मीराबाई पत्नी स्व. श्री रामगोपाल जाटव रामाजी का पुरा लश्कर, ग्वालियर के प्रकरण में उपस्थित श्री मुकेश जैन, कार्या. सहा. श्रेणी–3 ने कथन किया कि उपभोक्ता को माह अप्रैल 15 से जनवरी 18 तक लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर राशि रूपये 24993/– का क्रेडिट दिया जा चुका हैं। उपभोक्ता के द्वारा 13.03.2014 को मात्र 150/– रूपये जमा किये हैं। उपभोक्ता को जनवरी 14 से जनवरी 15 तक रीडिंग के बिल दिये गये हैं। उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**दिनांक 23.03.2018 को आवेदिका के पुत्र श्री मुकेश जाटव फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं कथन किया कि मेरे यहॉ वर्ष 2014 में विद्युत मीटर लगाकर विद्युत संयोजन लिया गया था, क्योंकि हमारा मकान उस समय बन रहा था। इसलिये उसमें मीटर लगवाया गया था। हमारे द्वारा लाईट का उपयोग लगभग तीन चार माह किया गया होगा। हम उस मकान में निवास ही नहीं करते है। वह आज दिनांक तक खाली पड़ा हुआ हैं। जबकि हमारे द्वारा बिजली का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा हैं, फिर भी हमें आंकलित खपत का बिल दिया जा रहा हैं और हमें माह जनवरी 2018 में राशि रूपये 52000/– का बिल दिया गया हैं, जो कि गलत हैं। जब हमारे द्वारा कार्यालय में सम्पर्क किया गया तो कहा गया कि आंकलित खपत को हटा देंगे,उस पर लगा सरचार्ज नहीं हटायेंगे। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि आंकलित खपत हटाई जावें एवं उस पर लगा सरचार्ज भी हटाकर मुझे संशोधित बिल दिया जावें। यही मेरा फोरम से निवेदन हैं।

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन लगभग 3 वर्ष से कटा हुआ हैं। विद्युत का उपयोग नहीं हो रहा हैं, जिसके कारण कंपनी द्वारा माह अप्रैल 2015 से जनवरी 2018 तक लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर राशि रूपये 24993/– की क्रेडिट आवेदिका के बिल में प्रदान कर दी गई हैं। संशोधित बिल राशि रूपये 23465/– दिनांक 09.03.2018 तक जमा करना शेष हैं। उपभोक्ता के द्वारा कभी भी बिजली का भुगतान नहीं किया गया हैं। उपभोक्ता ने 13.03.2014 को मात्र राशि रूपये 150/– जमा किये हैं। उपभोक्ता को माह जनवरी 2014 से माह जनवरी 2015 तक मीटर में दर्ज रीडिंग के बिल प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार आवेदिका की शिकायत का निराकरण कर माह अप्रैल 2015 से जनवरी 2018 तक लगाई गई आंकलित खपत को हटाते हुए बिल संशोधित कर शिकायत का निराकरण कर दिया गया हैं। अतः प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आवेदक द्वारा विद्युत का उपयोग माह जनवरी 2015 तक किया गया हैं तथा माह जनवरी 2014 से जनवरी 2105 तक मात्र रूपये 150/– माह मार्च 2014 में भुगतान किया गया हैं। आवेदिका के परिसर में विद्युत का उपयोग न होने के बावजूद अनावेदक ने माह अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक आवेदिका को आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक जारी किये गये, जिनका आवेदिका द्वारा भुगतान नहीं किया गया हैं। दिनांक 07.03.2018 को अनावेदक विद्युत कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आवेदिका के परिसर का भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि आवेदिका के परिसर में कोई विद्युत का उपयोग नहीं पाया गया तथा उसका परिसर खण्डहर पड़ा हैं तथा परिसर में विद्युत मीटर भी नहीं पाया गया तथा निरीक्षण पत्रक में नोटः– परिसर में विद्युत का उपयोग नहीं मिला, मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से परिसर खण्डहर पड़ा हैं, अंकित हैं। आवेदिका का भी कथन हैं कि वह पिछले तीन साल से विद्युत का उपयोग नहीं कर रही हैं तथा लगातार अप्रैल 2014 से मार्च 2018 तक आवेदिका ने किसी भी विद्युत देयक का भुगतान नहीं किया गया हैं।

अतः अनावेदक को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में विनिर्दिष्ट विनियमों के तहत **(9. 13) संयोजन विच्छेदनः**–उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह उपभोक्ता के संयोजन को अस्थाई विच्छेदन के बगैर अधिकतम 3(तीन) माह की युक्तियुक्त अवधि के अध्यधीन जारी न रखा जाना सुनिश्चित करें।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह भुगतान में चूक करने वाले सभी प्रकरणों का नियमित रूप से अनुवीक्षण(मॉनीटर) किया जाना सुनिश्चित करें तथा अस्थाई या स्थाई रूप से संयोजन के विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से समयबद्ध कार्यवाही की पहल करें।

उपरोक्त कण्डिका के तहत अनावेदक कंपनी को आवेदिका द्वारा विद्युत देयकों के लगातार जनवरी 2014 से मार्च 2018 तक भुगतान नहीं करने पर नोटिस देकर विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित करने की कार्यवाही की जाना थी, जो कि उनके द्वारा नहीं की गई हैं। यह अनावेदक की सेवा में घोर कमी को प्रदर्शित करता हैं तथा आवेदिका के परिसर में विद्युत का उपयोग आज से पहले 3 वर्षों से नहीं हो रहा हैं एवं उसका परिसर भी खण्डहर स्थिति में हैं तथा उसका कोई उपयोग भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 7 की कण्डिका 7.27:—**अनुबंध का समापन**

यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण साठ (60) दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबंध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबंध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता हैं तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी का अनुबंध समाप्त हो जायेगा, बशर्ते अनुबंध की प्रांरभिक अवधि समाप्त हो चुकी हों। संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जायेगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभावित किये बगैर उक्त विशिष्ट त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन की विद्युत प्रणाली (नेटवर्क) से हटा लिया जाएगा। अस्थाई विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को अनुबंध की प्रांरभिक अवधि के अन्तर्गत प्रयोज्य टैरिफ आदेश के अनुसार स्थाई प्रभार अथवा न्यूनतम प्रभार का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। ऐसे प्रकरणों में संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अनुबंध का समापन अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के पश्चात किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त विनियमों के प्रकाश में आवेदिका द्वारा माह जनवरी 2015 तक विद्युत का उपयोग पाया गया हैं एवं इसके पश्चात विद्युत का उपयोग लगातार मार्च 2018 तक नहीं हुआ एवं विद्युत देयकों का भुगतान भी नहीं किया गया एवं उसका परिसर भी खण्डर स्थिति में हैं।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता में से किसी के द्वारा अनुबंध का समापनः–

घरेलू एवं एकल फेज के गैर घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के उपभोक्ता अनुबंध को 15 दिवस की सूचना पश्चात समाप्त कर सकते हैं। अन्य उपभोक्ता दो वर्ष की प्रांरभिक अवधि के समाप्त होने के पश्चात एक माह की सूचना देकर अनुबंध का समापन कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी भी इस प्रकार की सूचना देकर लिखित कारण दर्शाते हुए अनुबंध का समापन कर सकता हैं परन्तु प्रतिबंध यह हैं कि यदि बकाया राशि के भुगतान न होने के कारण या मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अधीन जारी निर्देशों के गैर अनुपालन के कारण 60 दिवस की अवधि के लिये विच्छेदित रहती हैं तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई कारण बताओं सूचना के बाद भी उपभोक्ता द्वारा विच्छेदन निमित्तों को दूर करने हेतु और सूचना की विनिर्दिष्ट अवधि में विद्युत प्रदाय बहाल करने हेतु उपभोक्ता द्वारा कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जाता हैं तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से किया गया अनुबंध सूचना में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के समापन उपरांत स्वमेव समाप्त हो गया समझा जायेगा। कारण बताओ सूचना की अवधि 7 दिवस होगी।

फोरम का निर्णयः–विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में निहित प्रावधानों एवं विनिर्दिष्ट विनियमों के प्रकाश में आवेदिका द्वारा माह जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक विद्युत का उपयोग किया गया हैं तथा इस अवधि में उसके द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान भी (मात्र मार्च 2015 में रूपये 150/– को छोड़कर)नहीं किया हैं तथा अनावेदक द्वारा अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक आंकलित खपत के विद्युत देयक दिये गये, को निरस्त कर माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2015 तक तीन माह के टैरिफ मिनिमम लेकर विद्युत देयक संशोधित करें एवं माह अप्रैल 2015 की स्थिति में आवेदिका पर बकाया राशि जो कि उससे वसूली योग्य हैं, वसूल की जायें एवं उसका विद्युत संयोजन माह मई 2015 से स्थाई रूप से विच्छेदित माना जायें तथा माह अप्रैल 2015 के पश्चात की शेष बकाया बिलिंग राशि निरस्त की जायें।

आवेदिका की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 21/04/2018
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) सदस्य(अभियांत्रिकी) **(एस.एस. मंडलोई) अध्यक्ष** **(राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा)**

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल
(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्रीमती मीराबाई पत्नी स्व. रामगोपाल जाटव,
करी घाट, ए.बी.रोड, रामाजी का पुरा,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 04 / 2018 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–109 / 2018) दिनांक16 / 01 / 2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 21 / 04 / 2018 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग केन्द्रीय), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–109 / 2018 दिनांक 16 / 01 / 2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 21 / 04 / 2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं। आपसे अनुरोध हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

पेज – 02 प्र.क्र. जी. टी–091

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 04 / 2018

प्रति,
श्री संजीव कुमार त्रिपाठी,
उपयोगकर्ता माधवी महाजन,
जौहरी कॉलोनी, बाबन पायगा,
नई सड़क, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक21.04.2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–111 / 2018दिनॉक 15.02.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक21.04.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–111 / 2018 दिनांक 15.02.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 21.04.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.111/2018

15.02.2018

श्री संजीव कुमार त्रिपाठी,
उपयोगकर्ता माधवी महाजन,(आवेदक)
जौहरी कॉलोनी, बाबन पायगा,
नई सड़क, ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–21.04.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/111 दिनॉक 15.02.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 22.03.2018 एवं 12.04.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि :–
   1. यह कि, आवेदक के परिसर में घरेलू विद्युत उपयोग हेतु एक घरेलू विद्युत कनेक्शन, कनेक्शन क्रमांक 5008952000 कई वर्षो से लगा हुआ है, जिसके बिल आवेदन द्वारा नियमित रूप से जमा किये जाते है।
   2. यह कि, उक्त कनेक्शन का विद्युत मीटर माह दिसम्बर 2014 में अचानक चलते–चलते बंद हो गया एवं उसमें रीडिंग आना बंद हो गई, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा मीटर रीडर से की गई, जिसके द्वारा मीटर शीघ्र बदलवाने का आश्वासन दिया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

3. यह कि, आवेदक का मीटर कई दिनो तक न बदलने पर आवेदक ने एक लेखी आवेदन सम्बंधित जोन पर प्रस्तुत कर मीटर बदलने का निवेदन किया, जिस पर सम्बंधित इंजीनियर ने मीटर उपलब्ध ना होने के कारण कुछ दिन में मीटर बदलने के लिये कहा।

4. यह कि, आवेदक द्वारा लेखी आवेदन देने के पश्चात भी आवेदक के परिसर में स्थापित उक्त खराब मीटर को नही बदला गया तथा आवेदक को अपनी मनमर्जी से 200 से 500 आंकलित खपत की यूनिट लगाकर बिल जारी किये जाते रहे। आवेदक द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद अनावेदक ने माह अप्रैल 2017 में आवेदक के परिसर में स्थापित उक्त खराब मीटर को बदलकर नया मीटर लगाया।

5. यह कि, अनावेदक द्वारा लगाया नया मीटर स्थापना दिनांक से खराब था तथा उपयोग तेज भाग रहा था, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुनः सम्बंधित जोन पर की गई तथा उक्त तेज भाग रहे मीटर की जांच कराने के लिये मीटर परीक्षण शुल्क भी जमा किया परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत पर कोई ध्यान नही दिया गया तथा उक्त तेज भाग रहे मीटर की रीडिंग के आधार पर बिल जारी किये जाते रहे तथा इस दौरान अनावेदक द्वारा आवेदक को जुलाई 2017 में 967 यूनिट, अगस्त 2017 में 573 यूनिट, अक्टूबर 2017 में 1048 यूनिट के बिल दिये गये।

6. यह कि, आवेदक द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद अनावेदक ने माह दिसम्बर 2017 में आवेदक के परिसर में स्थापित उक्त तेज भाग रहे मीटर को बदला गया। उक्त मीटर बदलने के बाद अनावेदक को नई मीटर रीडिंग से इस बात की जानकारी हो गई थी कि आवेदक को माह जून 2015 से दिसम्बर 2017 तक जिन यूनिटो के बिल जारी किये जा रहे थे, वह आवेदक द्वारा उपयोग की गई विद्युत से काफी अधिक यूनिट के थे।

7. यह कि, अनावेदक को उक्त जानकारी होने के बाद भी अनावेदक ने आवेदक के कईबार शिकायत करने के उपरांत भी उक्त बिलों में कोई सुधार नही किया है, जिस कारण आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन विधिक निराकरण हेतु माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्री संजीव कुमार त्रिपाठी सर्विस क्रमांक 7–22–5008952000 का मीटर बंद हो गया था। जिस कारण आंकलित खपत यूनिट लिये जाते रहे। उपभोक्ता को जुलाई 2016 से अगस्त 2016 तक बिल समाप्त कर रू. 2357/– की क्रेडिट एवं अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक बिल कर रू.8910/– तथा मई 2017 से जुलाई 2017 तक रीडिंग विभाजित कर रू. 5899/– की क्रेडिट दी गई। जो कि नये मीटर की खपत थी।

उपभोक्ता को माह अगस्त 2017 एवं अक्टूबर 2017 में अधिक खपत आने के कारण उपभोक्ता ने मीटर की लैब में जांच कराई। मीटर लैब में सही पाया गया। नवम्बर 2017 से जनवारी 2018 तक नये मीटर की यूनिट खपत को विभाजित कर रू.10895/– की क्रेडिट कर दी गई है उपभोक्ता को मार्च 2018 में जमा योग्य राशि रू. 30713/– है।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :**–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 22.03.2018 को अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि आवेदक के बिल में नियमानुसार सुधार कर दिया गया है। संशोधित बिल की प्रति जबाव के साथ संलग्न है। इस तरह शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हेतु कुछ समय प्रदान करने का कष्ट करे। जिसे फोरम ने स्वीकार कर प्रकरण की आगामी तिथि 12.04.2018 को नियत की गई।

दिनांक 12.04.2018 को आवेदक प्रतिनिधि श्री राजेश मित्तल अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अनावेदक ने जो क्रेडिट देना बताया है वह क्रेडिट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नही हो रही है। यदि अनावेदक को आदेश करे कि वह आवेदक को क्रेडिट के सम्बंध में गणना पत्रक के साथ दिया जावे ताकि आवेदक को उसकी जानकारी हो। माननीय फोरम आवेदक की उक्त आपत्ति को निर्णय के समय समाधान हेतु सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निराकरण करते है तो आवेदक के प्रकरण का निराकरण अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजो के आधार पर मान्य है।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर क्रमांक 85326 का डिस्प्ले माह दिसम्बर 2014 में खराब होने के कारण अनावेदक द्वारा आवेदक को आंकलित खपत के विद्युत देयक माह जनवरी 2015 से अप्रैल 2017 तक जारी किये। जिनका आवेदक द्वारा 6 माह से 3 माह के अंतराल में भुगतान किया गया। आवेदक का खराब मीटर दिनांक 01.04.2017 को बदल कर नया मीटर क्रमांक 005–00024799 प्रारंभिक रीडिंग 0000 पर लगाया गया। नये मीटर में 01.04.2017 से 03.10.2017 तक प्रतिमाह औसत खपत लगभग 459 यूनिट दर्ज हुई। अनावेदक द्वारा माह जनवरी 2015 से जून 2016 तक आंकलित खपत के जारी विद्युत देयक लगभग मीटर के सही कार्य करने की अवधि के तीन माह की औसत खपत के बराबर है। जो कि नियमानुसार है। माह जुलाई 2016 एवं अगस्त 2016 के विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 2357/– की क्रेडिट आवेदक को दी गई है। माह अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक के विद्युत देयको में लगी आंकलित खपत हटाकर नये मीटर में दर्ज खपत के तीन माह के औसत के लगभग 300, 250 यूनिट खपत लेकर विद्युत देयक संशाधित किये जाकर आवेदक को रूपये 8910 की क्रेडिट दी गई है। (जो कि आवेदक के पूर्व मीटर में दर्ज खपत का पेटर्न एवं नये मीटर 01.04.2017 के स्थापित मीटर में दर्ज खपत के पेटर्न लगभग बराबर है।)

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

माह मई 2017 से जुलाई 2017 तक 10 जून को मीटर में दर्ज इक्ट्ठी खपत 967 यूनिट को बराबर 3 माह में विभाजित कर प्रतिमाह विद्युत खपत 322, 322 एवं 323 यूनिट लेकर विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत 5899 रूपये की क्रेडिट आवेदक को दे दी गई है। माह नवम्बर 2017 से दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 के माह में 03.10.2017 को स्थापित मीटर में दर्ज इक्ट्ठी खपत को बराबर 3 माह में विभाजित कर माह नवम्बर 2017, दिसम्बर 2017 में 164 एवं जनवरी 2018 में 165 यूनिट विद्युत खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 10895/– की क्रेडिट आवेदक को दी गई है। इस प्रकार आवेदक को

दिनांक 19.09.2016 को रूपये 2357/–
दिनांक 18.03.2017 को रूपये 8910/–
दिनांक 23.09.2017 को रूपये 5899/–
दिनांक 06.03.2018 को रूपये 10895/–
रूपये 28061/–

की क्रेडिट समायोजन उसके विद्युत देयकों में किया गया है। जो कि न्याय संगत एवं नियमों के अनुसार है।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 21.04.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) सदस्य (राजस्व एवं लेखा)

(एस.एस.मंडलोई) सदस्य (अभियांत्रिकी)

(राजीव अग्रवाल) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 04 / 2018

प्रति,

श्रीमति ममता मिश्रा, पत्नी श्री आर.एस. मिश्रा,
धरमवीर पेट्रोल पंप के पास, मछली पालन
केन्द्र के सामने, डी.डी. नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक23.04.2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–114 / 2018दिनॉक 15.02.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक23.04.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहर संभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–114 / 2018 दिनांक 15.02.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 23.04.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.114/2018

15.02.2018

श्रीमति ममता मिश्रा, पत्नी आर.एस. मिश्रा, (आवेदक)
धरमवीर पेट्रोल पंप के पास, मछली पालन केन्द्र,
के सामने, डी.डी. नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर
(म.प्र.)

आदेश

आज–23.04.2018 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/114 दिनॉक 15.02.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 23.03.2018 एवं 12.04.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–** आर्वेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आपके द्वारा दिए गए बिल में जब से मीटर वाचक द्वारा सितम्बर से आंकलित खपत के रूप में दिया जा रहा है। जबकि मीटर चालू है रीडिंग नही ली जा रही है। इस संबंध में आवेदन दिया था जिसके फलस्वरूप आपके द्वारा भेजे गए अधिकारी श्री विनोद ने जाकर जांच की और रिपोर्ट सौप दी जिसमें केवल चार सी.एफ.एल एवं एक पंखा है उसमें निवास नही है बस स्टोर के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट में मीटर चालू व रीडिंगबता रहा है इसके बादजूद जब बिल आता है तो उसमें पूर्व की तरह पिछला बकाया व चालू माह की आंकलित खपत दर्शायी जाती है। इस संबंध में ओवदन 05.01.2018 को पुनः दिया था परन्तु आज तक सुधार नही हुआ है। कृपया रीडिंग के मुताबिक बिल सुधार जाये ताकि समय पर भुगतान किया जा सके।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

5. **अनावेदक का कथन** :–अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्रीमति ममता मिश्रा सर्विस क्रमांक 4096303000 का विद्युत बिल माह अक्टूबर 2017 से माह दिसम्बर 2017 तक 77 यूनिट आंकलित खपत पर संशोधित कर एवं फल्स बिलिंग की राशि रू.2499 की क्रेडिट दिनांक 20.01.2018 को सी.सी.एण्ड बी सिस्टम में कर दी गई है। इस प्रकार शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 23.03.2018 को आवेदिका प्रतिनिधि श्री रविशंकर शर्मा फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं कथन किया गया कि हमारे विद्युत बिल माह अक्टूबर 2017 तक मीटर की रीडिंग के हिसाब से आता था किन्तु माह नवम्बर 2017 से आंकलित खपत के हिसाब से जारी करने लगे इस सम्बंध में जोन डी.डी. नगर के कार्यालय में आवेदन दिया गया उसके उपरांत मीटर को चैक करने के लिये लिखा गया। फिर कम्पनी कर्मचारी श्री विनोद ने अपनी जांच रिपोर्ट में 4 सी.एफ.एल एवं 1 नं. पंखा लिखा गया तथा उसमें किसी व्यक्ति का निवास न होना बताया गया है रिपोर्ट में मीटर चालू रीडिंग बता रहा है जिसकी प्रति संलग्न है। इसके बावजूद बिल लगातार आंकलित खपत के भेजे जा रहे है। माननीय फोरम से निवेदन है कि हमारे विद्युत बिलों में लगी आंकलित खपत को हटाते हुए मीटर में दर्ज खपत के हिसाब से बिल जारी किये जाए यही शिकायत है।

अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता कि शिकायत के आधार पर माह अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 तक लगी आंकलित खपत को हटाते हुए राशि रूपये 2499/– की क्रेडिट दी गई है। इस प्रकार शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करे।

दिनांक 12.04.2018 को अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि आवेदिका को माह फरवरी 2018 के विद्युत देयक में लगी आंकलित खपत को भी हटाकर टैरिफ मिनिमम का बिल करते हुए आवेदिका के माह अप्रैल 2018 के बिल में राशि रूपये 1479/– की क्रेडिट दी जा चुकी है। इस प्रकार आवेदिका की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

आवेदिका प्रतिनिधि ने उसके विद्युत बिलों में अनावेदक द्वारा किये गये संशोधन की कार्यवाही से संतुष्टि फोरम के समक्ष प्रकट की तथा कथन किया कि आगे हमारे मीटर में दर्ज खपत अनुसार ही विद्युत देयक दिये जाने का निवेदन किया ताकि कि वह उनका भुगतान समय पर कर सके।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनों कि समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदिका को उसके विद्युत संयोजन क्रमांक 2424902–38–2–4096303000 के विद्युत देयक माह अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 तक एवं फरवरी 2018 के विद्युत देयकों में आंकलित खपत लगाकर दिये गये थे। जिसकी शिकायत अनावेदक कम्पनी कार्यालय में की गई थी। जिसका निराकरण नही करने पर फोरम से निवेदन किया गया।

आवेदिका के विद्युत देयक माह अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017 तक बिल में लगी आंकलित खपत हटाकर विद्युत देयक मीटर में दर्ज खपत के अनुसार संशोधित कर आवेदिका को रूपये 2499/– की क्रेडिट दी गई है। माह फरवरी 2018 में भी आवेदिका को आंकलित खपत लगाकार विद्युत देयक जारी किया गया था। जिसे हटाकर मीटर में दर्ज खपत अनुसार 30 यूनिट से कम खपत आने पर टैरिफ मिनिमम से विद्युत देयक संशोधित कर आवेदिका को माह अप्रैल 2018 के विद्युत देयक में रूपयें 1479/– की क्रेडिट देते हुए विद्युत देयक जारी किया गया। जो कि नियमों के अनुसार एवं न्याय संगत है।

अतः आवेदिका की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 23.04.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 04 / 2018

प्रति,
श्री बलवंत सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह,
एच.जे.–16, दर्पण कॉलोनी,
थाटी पुर, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक23.04.2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–118 / 2018दिनॉक 15.02.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक23.04.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–118 / 2018 दिनांक 15.02.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 23.04.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।अतः अनावेदक निर्देशित किया जाता हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.118/2018

15.02.2018

श्री बलवंत सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह,
एच.जे.–16, दर्पण कॉलोनी,(आवेदक)
थाटीपुर, ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–23.04.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/118 दिनॉक 15.02.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 23.03.2018 एवं 12.04.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी अत्यन्त बृद्ध होकर दर्पण कॉलोनी में निवास करता हूँ। मेरे परिवार में मात्र मेरी पत्नी और में बृद्ध ही निवास करते है। प्रार्थी बाजार में चौकीदारी कर अपना व अपनी पत्नी का भरणपोषण कर रहा है। प्रार्थी के मकान में मात्र दो कमरे है इन्ही में विद्युत का उपयोग करता है। इन सबके पश्चात भी प्रार्थी प्रतिमाह अपनी अल्प आमदनी में से विद्युत बिल का नियमित रूप से भुगतान करता है।

   प्रार्थी को माह अक्टूबर 2017 में 49 यूनिट, नवम्बर 2017 में 81 यूनिट, व दिसम्बर 2017 में 79 यूनिट का विद्युत बिल प्रदान किया गया जिसका प्रार्थी द्वारा नियमित भुगतान भी किया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

प्रार्थी को माह जनवरी 2018 का विद्युत बिल 3167 यूनिट का रू.27136/– प्रदान किया गया जिसे पढ़कर आवेदक को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि मुझ गरीब को एक माह का बिल इतनी अधिक राशि का किस कारण प्रदान किया गया। उक्त बिल को देखकर प्रार्थी अत्यंत चिंतित व बीमार हो गया है। सिटी सेन्टर विद्युत जोन द्वारा विद्युत देयक सुधार में कोई रूचि नही ली जा रही है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त देयक निरस्त कर प्रार्थी को पूर्व के माहों अथवा पूर्व वर्षो की खपत के आधार पर विद्युत देयक प्रदान किया जावे ताकि प्रार्थी अल्प आमदनी (चौकीदारी) में से विद्युत बिल का भुगतान कर अपनी गुजर बसर कर सकें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्री बलवंत सिंह एच जे–16 दर्पण कालोनी थाटीपुर के द्वारा अपने विद्युत सर्विस क्रमांक 3837203000 में की गई शिकायत की गई है उपभोक्ता के द्वारा जनवरी 2018 के बिल में 3167 यूनिट का बिल दिया गया है जो 27136/– रू. का है वह सुधार किया जावे।

प्रकरण में निराकरण हेतु मीटर कवर गंदा होने के कारण 23.08.2017 को एफ.आर. 7346 एस.आर. 002 पर मीटर बदला गया। चूकिं मीटर का कवर गंदा था। अतः रीडिंग नही दिख रही थी, जिसके कारण इक्कठी रीडिंग का बिल दिया गया। प्रकरण में उपभोक्ता का पूर्व में मीटर एल.टी.एम.टी लैब में सीरियल नं. 01/100 दिनांक 09.01.2018 को टेस्ट कराया गया टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार मीटर सही पाया गया रिपोर्ट संलग्न है।

उपभोक्ता की आई इक्कठी खपत को माह 07/2016 से जनवरी 2018 तक बराबर–बराबर विभाजित किया जाकर समस्या का निराकरण किया गया है एवं इस बावत् उपभोक्ता को 5297/– रू. का क्रेडिट सी.सी.बी. रजिस्ट्रर से दिनांक 19.01.2018 को दे दिया गया है।

श्रीमान जी की ओर आवश्यक दस्तावेज एवं प्रकरण में की गई कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये लेख है कि उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा चुका है। अतः कृपा कर प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 23.03.2018 को आवेदक की प्रतिनिधि उनके पुत्र श्री कपिल कुमार फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं कथन किया कि वह हर माह मीटर में दर्ज खपत अनुसार दिये गये विद्युत बिलों माह अक्टूबर 2017, 49 यूनिट, नवम्बर 2017, 81 यूनिट एवं दिसम्बर 2017, 79 यूनिट का भुगतान किया गया है। लेकिन माह जनवरी 2018 का विद्युत बिल 3167 यूनिट रूपये 27136/– का विद्युत बिल दिया गया जो कि बहुत अधिक है एवं एक माह में इतनी

ज्यादा खपत मेरे घर में विद्युत का उपयोग नही हो सकता। अतः मुझ गरीब को एक माह का बिल इतनी अधिक राशि का किस कारण दिया गया इसकी जांच कराकर सही बिल दिया जावे। क्योकिं मेरे घर में मात्र एक ट्युब लाईट, एक टी.वी., एक पंखा का उपयोग हो रहा है क्योकिं में गरीब मजदूर एवं वृद्ध बुजूर्ग पति–पत्नी इस परिसर में निवास कर रहे है। अतः मेरे विद्युत बिल को जांचकर संशोधित बिल दिया जावे।

अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह पाया गया कि मीटर का कव्हर गंदा होने के के कारण मीटर की सही रीडिंग अंकित नही हो रही थी, दिनांक 23.08.2017 को उक्त मीटर बदला गया मीटर बदलने पर अंतिम रीडिंग 7346 एवं प्रारंभिक रीडिंग 002 पर परिवर्तित किया गया था। प्रकरण में पुरान मीटर को आर. एम.टी लेब में टेस्ट कराने पर मीटर सही पाया गया। आवेदक कि शिकायत का निराकरण हेतु जुलाई 2016 से जनवरी 2018 तक लगी आंकलित खपत हटाकर मीटर परीवर्तन पश्चात जनवरी 2018 में आई इक्ट्ठी खपत को बराबर विभाजित कर विद्युत बिल संशोधित कर रूपये 5297/– की क्रेडिट दी जाकर आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों की विवेचना करने पर यह पाया गया किः–

1. अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत मीटर रीडिंग डायरी एवं उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदक के परिसर में वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक मीटर में दर्ज वर्षवार औसत खपत लगभग क्रमशः 50.3, 55, 72.25, एवं 53 यूनिट रही है। आवेदक के परिसर में एक कमरा है, उसमें दो नं. सी.एफ.एल. तथा 1 पंखा लगा है। जिसमें वह विद्युत का उपयोग करता है। जिसकी पुष्टि परिसर निरीक्षण रिपोर्ट से भी होती है। आवेदक का विद्युत मीटर 7 जुलाई 2017 तक मीटर में रीडिंग 4360 सही कार्य कर रहा था। दिनांक 23.08.2017 को आवेदक के विद्युत मीटर का कव्हर खराब होने से सही रीडिंग पढ़ी नही जाने के कारण मीटर क्रमांक 565543 को बदलते समय इसमें रीडिंग 7346 पाई गई एवं नया मीटर प्रारंभिक रीडिंग 002 पर लगाया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक को माह सितम्बर 2017, अक्टूबर 2017 नवम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017 के विद्युत देयक आंकलित खपत लगाकर दिये गये। माह दिसम्बर बिल्ड जनवरी 2018 में आवेदक के नये मीटर स्थापित होने के बाद एस.आर एफ.आर कम्पयूटर में पंच कर माह जनवरी 2018 का विद्युत देयक 3169 यूनिट खपत का दिया गया।

माह जनवरी 2018 के विद्युत देयक में 3169 यूनिट खपत के विद्युत देयक अस्वीकर करते हुए आवेदक ने अपने यह स्थापित पुराने मीटर का मीटर परीक्षण विद्युत प्रयोगशाला में टेस्ट कराने हेतु रूपये 50/–दिनांक 05.01.2018 को जमा किये गये। जिस पर अनावेदक ने मीटर परिक्षण विद्युत प्रयोगशाला ग्वालियर में मीटर क्रमांक 565543 मेक नकोड़ा का

परिक्षण दिनांक 09.01.2018 कराया गया। मीटर परिक्षण रिपोर्ट में मीटर डायल टेस्ट में सही पाया गया लेकिन मीटर में अधिकतम मांग रिकार्डर असफल पाया गया। अतः फोरम इस मीटर को खराब मानता है। क्योकिं एक अन्य प्रकरण क्रमांक जी.टी.–150 दिनांक 28.03. 2018 में भी एक विद्युत मीटर क्रमांक 566791 मेक नाकोड़ा को भी इसी मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में टेस्ट कराया था तथा उसकी टेस्ट रिपोर्ट में भी मीटर का डायल टेस्ट सही पाया गया लेकिन मीटर की पुश बटन कार्य नही कर रही है इसलिये मीटर खराब अंकित है। क्योकिं किसी भी मीटर में यदि उसके विद्युत खपत दर्ज करने के फीचर्स का कोई एक भाग भी सही कार्य नही करता है तो उसमें विद्युत की खपत सही दर्ज नही होगी। अतः आवेदक का मीटर क्रमांक 565543 मेक नकोड़ा को फोरम खराब मानता है। अतः आवेदक के परिसर में जिस अवधि तक खराब मीटर लगा रहा उस अवधि के विद्युत देयक म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कंडिका 8.35 (ब) **ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबंध के अंतर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अंतर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां है जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्त के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।**

चूकिं उपभोक्ता का विगत चार वर्षो की औसत खपत प्रतिमाह 58 यूनिट पाई गई है। अतः अनावेदक का यह कथन किया कि मीटर का कवर गंदा था। अतः रीडिंग नही दिख रही थी जिसके कारण इक्ट्ठी रीडिंग का बिल दिया गया स्वीकार योग्य नही है। अतः फोरम की पूर्व विवेचना में भी इस तरह के मीटर खराब पाये जाने के कारण प्रयोगशाला द्वारा बंद एवं खराब घोषित किया जा चुका है। मीटर रीडिंग की समीक्षा में भी यह पाया गया कि मीटर रीडर द्वारा मीटर का कवर गंदा होने के कारण रीडिंग नही ले पा रहे है, जैसा रिमार्क कभी लिखा नही है। इसके अतिरिक्त परिसर के भौतिक सत्यापन से भी यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक कमरे के मकान में 2 सी.एफ.एल, एवं एक पंखा से उपभोक्ता के परिसर की

खपत 200 यूनिट आना संभव नही है जिसका कि आवेदक द्वारा 211 यूनिट प्रतिमाह का बिल संशोधित किया है।

अतः फोरम के मतानुसार मीटर की कार्यप्रणाली डिफेक्टिव (खराब) मानते हुए अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि विगत चार वर्षो की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को 58 यूनिट औसत लेकर माह सितम्बर 2017 का विद्युत देयक जारी किया जाये इस निर्णय की पुष्टि मीटर बदलने के बाद दर्ज खपत से भी होती है। एवं शेष माह अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 तक नये मीटर में दर्ज इक्ट्ठी खपत को बराबर अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 तक विभाजित कर विद्युत देयक संशोधित करे।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अतः अनावेदक निर्देशित किया जाता हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 23.04.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस.मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 04 / 2018

प्रति,

श्रीमति ऊषा तोमर, पत्नी जयसिंह तोमर,
ए–3, पुरूषोत्तम विहार कॉलोनी, भिण्ड रोड,
गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक23.04.2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–120 / 2018दिनॉक 15.02.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक23.04.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहर संभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–120 / 2018 दिनांक 15.02.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 23.04.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.120/2018

15.02.2018

श्रीमति ऊषा तोमर, पत्नी जयसिंह तोमर, (आवेदक)
ए–3, पुरूषोत्तम विहार कॉलोनी, भिण्ड रोड,
गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर
(म.प्र.)

आदेश

आज–23.04.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/120 दिनॉक 15.02.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 23.03.2018 एवं 12.04.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–** आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि बिल क्रमांक बी.आर.ओ. 757/549 आंकलित खपत का दिया गया है, जो मेरे द्वारा भरा नही गया। इसके पश्चात मैनें शिकायत की तो मेरे यहॉ पर पुनः रीडिंग ली गयी। इसके पश्चात मुझे जो बिल दिया गया उस बिल में आंकलित खपत का बिल जोड़कर दिया गया है। जबकि मेरे यहॉ पर पुनः रीडिंग के अनुसार

निरंतर.....

बिल दिया जान था जो कि नही दिया गया। कृपया आपसे निवेदन है कि मेरे बिल क्रमांक बी.आर.ओ.157/3789 मे जो आंकलित खपत जोड़ी गयी है। उसे हटाने का कृपा करे।

5. **अनावेदक का कथन :**—अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्रीमति ऊषा तोमर सर्विस क्रमांक 6122292000 का माह अक्टूबर 2017 में लगी आंकलित खपत 356 यूनिट को हटाकर उपभोक्ता के विद्युत बिल न्यूनतम प्रभार पर संशोधित कर दिया गया है जिसकी फाल्स बिलिंग की राशि रू.2688/— की क्रेडिट दिनांक 07.03.2018 को सी.सी.एण्ड बी. सिस्टम में कर दी गई है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :**—प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदिका ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया कि उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 1947643 के विद्युत बिल में माह अक्टूबर 2017 में आंकलित खपत 356 यूनिट का जारी किया गया। जिसे हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत बिल को संशोधित करने का निवेदन किया गया है।

दिनांक 12.04.2018 को अनावेदक ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि उपभोक्ता के द्वारा उनके बिलों में आंकलित खपत लगाकर दिये जाने पर शिकायत की गई थी। प्रकरण में माह अक्टूबर 2017 में लगी 356 यूनिट की आंकलित खपत को हटाया गया और टैरिफ मिनिमम के अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 2688/— की क्रेडिट 07.03.2018 को कर दिया गया है। इस प्रकार आवेदक की शिकायत का निराकरण किया जा चुका है। प्रकरण समाप्त करने हेतु अनुरोध है।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना करने के उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदिका को माह अक्टूबर 2017 के विद्युत देयक में 356 यूनिट आंकलित खपत का विद्युत देयक दिया गया। जिसका उसने भुगतान नही किया एवं कम्पनी के सहायक यंत्री डी.डी. नगर जोन कार्यालय में एक आवेदन देकर निवेदन किया की मेरे विद्युत

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

बिल में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार आई विद्युत खपत का बिल दिया जावे।

अनावेदक ने आवेदिका के माह अक्टूबर 2017 के विद्युत देयक में लगी आंकलित खपत हटाकर टैरिफ मिनिमम के अनुसार विद्युत प्रभार लेकर विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 2688/– की क्रेडिट दिनांक 07.03.2018 को देना स्वीकार किया गया है। अनावेदक की उक्त कार्यवाही नियमानुसार एवं न्याय संगत पाई गई।

अतः आवेदिका की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 23.04.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस.मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 04 / 2018

प्रति,
श्री सुरेन्द्र सिंह नरवरिया, पुत्र श्री लखन सिंह,
नारायण विहार कॉलोनी, भिण्ड रोड,
गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक23.04.2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–121 / 2018दिनॉक 15.02.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक23.04.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–121 / 2018 दिनांक 15.02.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 23.04.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।अतः आपको निर्देशित किया जाता हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.121/2018

15.02.2018

श्री सुरेन्द्र सिंह नरवरिया पुत्र श्री लखन सिंह,
नारायण विहार कॉलोनी, भिण्ड रोड़,(आवेदक)
गोले का मंदिर, ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (पूर्व)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–23.04.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/121 दिनॉक 15.02.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 23.03.2018 एवं 12.04.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि :–
   1. यह कि, आवेदक के परिसर में घरेलू विद्युत उपयोग हेतु एक घरेलू विद्युत कनेक्शन, कनेक्शन क्रमांक 9535692000 माह नवम्बर 2013 से लगा हुआ है, जिसके बिल आवेदक द्वारा नियमित रूप से जमा किये जाते थे।
   2. यह कि, उक्त कनेक्शन का विद्युत मीटर अगस्त 2014 में अचानक चलते–चलते बंद हो गया एवं उसमें रीडिंग दर्शित नही हो रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा मीटर रीडर से की गई, जिसके द्वारा मीटर शीघ्र बदलवाने का आश्वासन दिया गया।
   3. यह कि, आवेदक का मीटर कई दिनों तक ना बदलने पर आवेदक ने एक लेखी आवेदक दिनांक 24.02.2015 को सम्बंधित जोन पर प्रस्तुत कर मीटर बदलने का निवेदन किया, जिस

पर सम्बंधित इंजीनियर द्वारा मीटर उपलब्ध ना होने के कारण कुछ दिन में मीटर बदलने के लिये कहॉ गया।

4. यहकि, आवेदक द्वारा लिखित आवेदन देने के पश्चात भी आवेदक के परिसर में स्थापित उक्त खराब मीटर को नही बदला गया तब आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड, डी.डी. नगर जोन पर प्रस्तुत किया, जिसे सम्बंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा ना लिये जाने पर आवेदक ने उक्त आवेदन को वांचित शुल्क के साथ रजिस्ट्रर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 11.02.2017 को लोक सूचना अधिकारी (कनिष्ठ अभियंता), डी.डी. नगर जोन पर भिजवाया।

5. यहकि, आवेदक द्वारा रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवाये उक्त आवेदन के माध्यम से अनावेदक से खराब मीटर को बदलने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी मीटर ना बदलने का कारण, बिलों में लगाई आंकलित खपत का आधार एवं मीटर रीडिंग की सत्यापित प्रति की मांग की थी।

6. यहकि, आवेदक द्वारा भिजवाया उक्त आवेदन अनावेदक को दिनांक 15.02.2017 को प्राप्त हुआ परन्तु उसके बाद भी अनावेदक ने आवेदक के कनेक्शन के उक्त खराब मीटर को नही बदला और न ही आवेदक के बिलों में कोई संशोधन किया और न ही आवेदक द्वारा आवेदन के माध्यम से मांगी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई।

7. यहकि, अनावेदक द्वारा उक्त आवेदन प्राप्त होने के बाद भी आवेदक की कोई मदद ना किये जाने पर आवेदक ने दिनांक 03.03.2017 को एक आवेदन सम्बंधित जोन के कनिष्ठ यंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे कनिष्ठ यंत्री महोदय ने आवेदक से स्वयं लेकर आवेदक को जल्द से जल्द मीटर बदलने एवं बिलों में सुधार करने का विश्वास दिलाया।

8. यहकि, उक्त आवेदन देने के बाद भी कनिष्ठ अभियंता द्वारा कोई कार्यवाही ना किये जाने पर आवेदक ने दिनांक 31.03.2017 को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई योजना के अंतर्गत जनसुनवाई में की गई। आवेदक द्वारा की गई उक्त शिकायत पर से अनावेदक ने आवेदक के परिसर में लगे उक्त खराब मीटर को दिनांक 05.07.2017 को बदलकर नया मीटर लगा दिया लेकिन उक्त खराब मीटर के कारण अपनी मनमर्जी की आंकलित खपत लगाकर जारी किये बिलो में कोई सुधार नही किया, जिस पर आवेदक पुनः अनावेदक के कार्यालय गया तथा उनसे बिलों में सुधार करने का निवेदन किया परन्तु अनावेदक ने पूर्व की तरह इस बार भी आवेदक की बिलों में सुधार सम्बंधी शिकायत का कोई समाधान नही किया, जिस कारण आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन विधिक निराकरण हेतु माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह नरवरिया/श्री लाखन सिंह नरवरिया के सर्विस क्रमांक 9535692000 मे पहिले उपभोक्ता का मीटर खराब था मीटर बदल दिया गया है मीटर खराब होने के कारण माह जुलाई 2015 से जुलाई 2017 तक 5676 यूनिट की बिलिंग की गई है।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

चैक रिपोर्ट दिनांक 07.03.2018 के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में 2955 वाट भार पाया गया है भार के अनुसार 283 यूनिट प्रतिमाह खपत आती है इस प्रकार माह जुलाई 2015 से जुलाई 2017 तक 25 माह में 283x25=7075 यूनिट की बिलिंग होना थी।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक के विद्युत संयोजन क्रमांक 2424902–39–9535692000, एक फेज घरेलू जिसका संयोजित विद्युत भार 500 वाट स्वीकृत है विद्युत मीटर खराब हो जाने पर अनावेदक को मौखिक एवं लिखित आवेदन देकर मीटर बदलने का निवेदन करने के बावजूद भी वर्ष 2014 से जुलाई 2017 तक नही बदला गया एवं आवेदक को माह जून 2015 से जुलाई 2017 तक 100 यूनिट, 200 यूनिट, 250 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट एवं 500 यूनिट तक आंकलित खपत लगाकर विद्युत देयक जारी किये गये। से व्यथित होकर उनका भुगतान करना भी बंद कर दिया गया एवं आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष यह निवेदन किया कि उसका खराब मीटर बदला जावे एवं मीटर खराब होने पर नियमानुसार विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान अनुसार मीटर बदलकर मीटर में दर्ज खपत अनुसार उसे लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर विद्युत देयक संशोधित कर भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक दिया जावे ताकि वह उनका भुगतान कर सके।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक के परिसर का निरीक्षण दिनांक 07.03.2018 को किया गया। जिसमें विद्युत भार 2955 वाट पाया गया। अतः उपभोक्ता को संयोजित भार अनुसार प्रतिमाह औसत यूनिट 283 के अनुसार जुलाई 2015 से जुलाई 2017 तक 25 माह में 7075 यूनिट का विद्युत देयक दिया जाना प्रस्तावित है।

आवेदक का विद्युत मीटर खराब होने के कारण जून 2015 से जुलाई 2017 तक की अवधि में आवेदक को अनावेदक द्वारा आंकलित खपत 100, 150, 200, 250, 300, 400 एवं 520 यूनिट तक लगाकर विद्युत देयक प्रदाय किये गये। जिनका आवेदक द्वारा भुगतान भी नही किया गया तथा अनावेदक द्वारा आवेदक का मीटर भी नही बदला गया। यह अनावेदक की सेवा में घोर कमी का द्योतक है, आवेदक का खराब मीटर दिनांक 05.07.2017 को बदल कर नया मीटर प्रारंभिक वाचन 0002 पर लगा दिया गया है। आवेदक के परिसर में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता तथा अनअधिकृत रूप से कोई विद्युत का गलत उपयोग भी नही पाया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कंडिका 8.35 (ब) **ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबंध के अंतर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अंतर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां है जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्त के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।**

अतः उपरोक्त कंडिका के अनुसार आवेदक के विद्युत मीटर खराब रहने की अवधि जून 2015 से जुलाई 2017 तक की अवधि के विद्युत देयक में लगाई गई आंकलित खपत को हटाकर कर दिनांक 05.07.2017 को स्थापित नये मीटर में दर्ज 3 माह अगस्त 2017, सितम्बर 2017 एवं अक्टूबर 2017की खपत क्रमशः 46, 32 एवं 52 यूनिट औसत 43 यूनिट प्रतिमाह खपत लेकर माह जून 2015 से जुलाई 2017 तक के विद्युत देयक संशोधित कर संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक आवेदक को जारी करे।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अतः अनावेदक निर्देशित किया जाता हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 23.04.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 04 / 2018

प्रति,

श्रीमति मेहताब बेगम,
चक्की वाली मस्जिद के पास,
पोस्ट आंतरी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक25.04.2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–148 / 2018दिनॉक 28.03.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक25.04.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहर संभाग, (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–148 / 2018 दिनांक 28.03. 2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 25.04.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।आपसे निर्देशित किया जाता हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.148/2018

28.03.2018

श्रीमति मेहताब बेगम, (आवेदिका)
चक्की वाली मस्जिद के पास,
पोस्ट आंतरी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (केन्द्रीय)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर
(म.प्र.)

आदेश

आज–25.04.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/148 दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 13.04.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–** आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि पूर्व के अधिकारी जी द्वारा प्रार्थीनी का पाटौर के सामने विद्युत पोल पर 29.06.2014 को अस्थाई कनेक्शन LV-12 TM सर्विस क्रमांक 2425006–65–92–73793641415 BA को लगवा दिया गया था उसी समय से प्रार्थीनी विद्युत का उपयोग कर रही है और हर माह अपनी विद्युत शुल्क सयम पर अदाकर रही है। प्रार्थीनी की पाटौर में सिंगल फेस अधिकृत भार 100 वाट का कनेक्शन लगाया गया है, जबकि प्रार्थीनी की पाटौर में 15 वाट की 3 सी.एफ.एल. एवं एक छोटा कूलर होने के उपरांत प्रार्थीनी को अत्यधिक बिल का

भुगतान करना पड़ रहा है एवं मीटर रीडर द्वारा मीटर में अंक कटे आने के कारण मीटर की रीडिंग सही न ली जाकर अंदाज से मीटर रीडिंग ली जा रही है। प्रार्थीनी ने स्थाई कनेक्शन के लिये पूर्व में राशि रू.255/– दिनांक 04.07.2011 को जमा भी किये थे परन्तु प्रार्थीनी को रूपये 3000/– दिनांक 25.06.2014 को जमा करवाकर अस्थाई कनेक्शन दिया था।

अतः माननीय जी से निवेदन है कि अस्थाई कनेक्श का प्रति यूनिट चार्ज अत्यधिक होने के कारण प्रार्थीनी विद्युत शुल्क अदा करने में असमर्थ है माननीय जी से निवेदन है कि पूर्व के मीटर को बदलकर स्थाई विद्युत कनेक्शन दिलवाने की कृपा करे।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किः–

1. उक्त परिसर गली नं. 3 रामनगर मुडिया पहाड़ पर श्री अब्दुल गनी के नाम से पूर्व विद्युत कनेक्शन क्रमांक 200405 पर रू. 56652/– बकाया राशि है एवं चैकिंग की पंचनामा क्रमांक 1269–62046 दिनांक 09.06.2011 की अतिरिक्त बिलिंग राशि रू. 9230+1000=10230 कुल बकाया राशि 66882/– रू. बकाया है।
2. बकाया राशि के भुगतान बावत उपभोक्ता को कई बार लेख किया गया परंतु उपभोक्ता द्वारा इस राशि का कोई भुगतान नही किया गया।
3. उक्त उपभोक्ता द्वारा पूर्व में भी प्रकरण जी.टी–37 दिनांक 22.03.2014 को माननीय शिकायत निराकरण भोपाल के समक्ष शिकायत की जा चुकी है। इस पर माननीय फोरम द्वारा क्रमांक 1918 दिनांक 09.06.2014 को पारित आदेश में उक्त आवेदिका का आवेदन निरस्त किया जा चुका है। निर्णय की छायाप्रति संलग्न है।
4. उपभोक्ता द्वारा पूर्व में जनसुनवाई के माध्यम से एवं सी.एम. हेल्पलाईन के माध्यम से भी शिकायत की जा चुकी है परंतु बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है।

बकाया राशि होने के कारण एवं माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा पारित निर्णय क्रमांक 1918 दिनांक 09.06.2014 के अनुसार घरेलू स्थायी कनेक्शन प्रदान नही किया गया है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 13.04.2018 को आवेदिका के पति श्री मोहम्मद रईस खान फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं कथन किया कि मैं नगर पोस्ट आतरी जिला ग्वालियर चक्की वाली मज्जिद के पास रहता हूॅ। मेरा मकान कच्ची पाटर चंद्रबदनी नाका गली नम्बर 6में स्थित है। मुझे कम्पनी द्वारा अस्थाई कनेक्शन दिया गया है उसका विद्युत बिल अधिकआने से मेंबिल जमा करने में असमर्थ हूॅ। माननीय जी से निवेदन है कि मुझे अस्थाई कनेक्शन के

स्थान पर स्थाई विद्युत कनेक्शन दिया जावे। जिसका आवेदन मेरे द्वारा कम्पनी कार्यालय में जिसकी औपचारिकताएँ पूर्ण कर कनेक्शन चार्ज रूपये 255/– जमा किये गये है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे स्थाई विद्युत कनेक्शन दिलवाने की कृपा करे।

अनावेदक ने प्रकरण में फोरम के समक्ष कथन किया कि शिकायतकर्ता के परिसर श्री अब्दुल गनी के नाम से पूर्व में विद्युत कनेक्शन क्रमांक 2004057 स्थापित था पर बकाया राशि रूपये 566521 है एवं इस परिसर पर चैकिंग दिनांक 09.06.2011 को की गई थी जिस अनियमितता पाये जाने पर बिलिंग राशि रूपये 9230/– तथा 1000 रूपये समझौता राशि कुल रूपये 10230/– इस प्रकार से पूरे परिसर पर रूपये 66832/– बकाया शेष है। शिकायत कर्ता द्वारा पूर्व में भी माननीय फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर प्रकरण क्रमांक जी.टी.–37 दिनांक 22.03.2014 को दर्ज हुआ था। जिसका निर्णय आदेश फोरम द्वारा दिनांक 07.06.2014 को पारित करते हुये शिकायत को निरस्त किया गया था। मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 अध्याय 4 की कंडिका 4.17 के अनुसार परिसर पर बकाया होने के कारण स्थाई विद्युत कनेक्शन नही दिया जा सकता। जब तक की उस परिसर का विद्युत बकाया राशि का भुगतान कर दिया जावे।

आवेदिका प्रतिनिधि ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव का अध्ययन करने के बाद फोरम के समक्ष कथन किया कि श्री अब्दुल गनी ने अपना पूरा मकान लतीफ अहमद को बेचा, उसके पश्चात लतीफ अहमद ने उस मकान का एक भाग सईद खान को बेचा उसके पश्चात वही भाग सईद खान वाला भाग श्रीमति मेहताब बेगम को बेचा गया इस प्रकार इसका पुराना बकाया राशि पूरे भाग की अब्दुल गनी खान से वसूलनी थी। उस समय हाल की हाल अब्दुल गनी खान से वसूलना था। श्रीमति मेहताब बेगम ने सईद खान से खरीदा था।

प्रकरण में आवेदक और अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों और कथनों का फोरम द्वारा परीक्षण किया गया। प्रकरण में आवेदिका श्रीमति मेहताब बेगम द्वारा वर्ष 2011 से नये स्थायी घरेलू कनेक्शन की मांग की जा रही है। परंतु अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन परिसर पर पूर्व भवन/भूमि मालिक श्री अब्दुल गनी पर बिजली बिल की बकाया राशि वसूली हेतु शेष बतायी जाकर नया कनेक्शन प्रदान करने के इंकार किया जा रहा है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार पूर्व में आवेदिका द्वारा दिनांक 07.07.2011 को नवीन घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अनावेदक की ओर से कनिष्ठ यंत्री, बाराघाट जोन केन्द्रीय संभाग ग्वालियर द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.07.2011 से आवेदिका को सूचित किया गया कि उक्त परिसर में पूर्व का विद्युत संयोजन क्रमांक 2004057 अब्दुल गनी के नाम से बिल आ रहा है जिस पर विद्युत बिल की बकाया राशि 51559/– एवं विद्युत चैकिंग राशि रूपये 9230/– + 1000/– = 10230 + 51559 = 61789/– बकाया है तथा उक्तानुसार बकाया राशि बताकर नवीन कनेक्शन प्रदान नही किया गया। आवेदिका द्वारा वर्ष

2014 में दर्ज कराये गये प्रकरण में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के निर्णय दिनांक 07.06.2014 के अनुसार अनावेदक द्वारा आवेदिका श्रीमति मेहताब बेगम का अस्थायी घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया। आवेदिका द्वारा फोरम के समक्ष पुनः अस्थाई कनेक्शन हटाकर स्थाई कनेक्शन दिलवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में फोरम ने पाया कि अनावेदक द्वारा दिनांक 13.04.2018 को प्रस्तुत अपने पत्र दिनांक 11.04.2018 द्वारा कथन किया कि उक्त परिसर पर श्री अब्दुल गनी के नाम से पूर्व विद्युत कनेक्शन 200405 पर रूपये 56652/– बकाया राशि तथा चैकिंग बिलिंग राशि 9230+1000=10230/– कुल बकाया राशि रूपये 66882/–है। जबकि पूर्व में अनावेदक द्वारा आवेदिका को दिनांक 26.07.2011 को सूचित किया गया था कि परिसर पर कुल राशि 61789/– बकाया है। जो अपने आप में विसंगति पूर्ण है। अनावेदक द्वारा जो चैकिंग की बिलिंग राशि रू.10230/– बतायी जा रही है वह भी श्री अब्दुल गनी के नाम की न होकर किसी राजब खान गली नं. 03 नाका चंद्राबदनी के नाम से धारा 135 के अंतर्गत की गयी बिलिंग से संबंधित है तथा जिसके लिये अनावेदक को विद्युत अधिनियम 2003 में किये गये प्रावधानो के अनुसार विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत की जाकर सबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करना चाहिये न कि अब्दुल गनी से वसूली गयी योग्य राशि में दर्शाना चाहिये।

यह अत्यंत ही आश्चर्य का विषय है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत बनाये गये प्रकरण की वसूली सन् 2011 से अभी तक क्यों लंबित है। क्या प्ररकरण विशेष न्यायलय में प्रस्तुत नही किया/यदि हॉ तो क्यों नही किया गया। इस संबंध में संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना भी आवश्यक है।

प्रकरण में अनावेदक द्वारा अपने दो विभिन्न पत्रों में उक्त परिसर पर अब्दुल गनी के नाम से बकाया राशि पहले रू.51559/– फिर पुनः राशि रू.56652/– बतायी गयी। परंतु अपने कथन के समर्थन मे अनावेदक द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नधीन परिसर पर कोई बकाया राशि वसूली हेतु शेष है।

आवेदक द्वारा दिनांक 13.04.2018 को प्रस्तुत दस्तावेज जो अब्दुल गनी के नाम से कनेक्शन क्रमांक 2004630 के नाम दिनांक 01.01.2007 से 01.12.2013 तक तथा लतीफ अहमद के नाम से जुलाई 2013 से दिसम्बर 2013 की अवधि के बिलिंग विवरण से संबंधित है। उक्त विवरण के अनुसार कनेक्शन क्रमांक 2004630 पर वर्ष 2013 तक पहले अब्दुल गनी के नाम से फिर लतीफ अहमद के नाम से कोई बकाया राशि नही रही। यदि वर्ष 2011 में किसी अन्य कनेक्शन क्रमांक 2004057 पर अब्दुल गनी के नाम से बकाया राशि रही है तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अन्य कनेक्शन में जोड़कर वसूल की जाना चाहिये थी ना कि नवीन विद्युत कनेक्शन के आवेदक से और यदि तत्समय में एवं वर्ष 2011 से वर्ष 2018

की अवधि में अनावेदक द्वारा बकाया राशि की वसूली की विधि सम्मत कार्यवाही नही की गयी है, तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार फोरम के मत में ऐसी बकाया राशि दो वर्ष की कालावधि के पश्चात वसूल किये जाने योग्य नही होगी।

आवेदिका को वर्ष 2014 मे प्रदान किये गये अस्थायी घरेलू विद्युत कनेक्शन के बिलों का आवेदिका द्वारा निरंतर भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्त विवेचना के अनुसार फोरम के मत में बिना किसी विधिसंगत आधार के आवेदिका को नवीन स्थायी विद्युत कनेक्शन से वंचित नही किया जा सकता है। अतः फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदक द्वारा आवेदिका श्रीमति मेहताब बेगम को तत्काल स्थाई घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की कार्यवाही की जाये तथा आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाये।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 25.04.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrf.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 04 / 2018

प्रति,

स्व. श्री सतीश चंद्र

उपयोगकर्ता श्रीमति आशा भगाने,

58, बजरंग द्वार, पारदी मोहल्ला,

शिंदे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक25.04.2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–149 / 2018दिनॉक 28.03.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक25.04.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–149 / 2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 25.04.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.149/2018

28.03.2018

स्व. श्री सतीश चंद्र
उपयोगकर्ता श्रीमति आशा भगाने, (आवेदक)
58, बजरंग द्वार, पारदी मोहल्ला,
शिंदे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (केन्द्रीय)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–25.04.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/149 दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 13.04.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–** आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मैं अकेली महिला हूॅ।मेरा मीटर नं. 9570162000 का बिल हमेशा बहुत ही अधिक आता है, मैने बिजली घर में काफी शिकायत की परंतु बिलजी घर वाले नही सुनते है, ज्यादा कहने पर मीटर का तार काट दिया है। परंतु मीटर उतारा नही है और हर महीने बिल बढ़ाकर दे रहे है। जितना कि मैं उपयोग नही करती हूॅ। मेरे यहॉ दो मीटर लगे है। मै घर में अकेली निवास करती हूॅ। मैं बस इतना चाहती हूॅ कि मेरे पति स्व. श्री सतीश चंद्र के नाम से जो मीटर है कृपा कर उस मीटर का कनेक्शन काट दिया जाये, ताकि मै समय परबिल जमा कर सकूॅ। यह कार्य जितनी जल्दी हो सके तो करवा दिजिए में आपकी आभारी रहूगी।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

5. **अनावेदक का कथन** :–अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किउपभोक्ता स्व. श्री सतीश चंद्र, उपयोगकर्ता आशा मगाने के परिसर में दो विद्युत कनेक्शन स्थापित है, जिसमें एक घरेलू एवं दूसरा गैर घरेलू (व्यवसायिक) कनेक्शन स्थापित है।

1. व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन जो श्रीमति आधा भगाने/सतीश चंद्र के नाम से स्थापित है। जिसका विद्युत सर्विस क्रमांक 46–4–2842072000 है। इस विद्युत कनेक्शन पर अप्रैल 2018 का देयक 1884/रू. शेष है। जिसका स्वीकृत भार 1000 वाट है। परिसर का भौतिक सत्यापन कराने पर इस विद्युत कनेक्शन पर पाया गया भार 4265 वाट है। जो स्वीकृत भार से अधिक है। चूंकि उपभोक्ता का घरेलू कनेक्शन बकाया राशि पर अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया है। उपभोक्ता द्वारा घरेलू कनेक्शन का लोड भी व्यवसायिक कनेक्शन से उपयोग किया जा रहा है।

2. घरेलू विद्युत कनेक्शन जिसकी शिकायत उपभोक्ता द्वारा की गई है। जिसका विद्युत सर्विस क्रमांक 46–4–9570162000 है। जो सतीश चंद्र के नाम से स्थापित है। इस कनेक्शन का स्वीकृत भार 1240 वाट है। इस विद्युत कनेक्शन पर परिसर का भौतिक सत्यापन कराने पर चैक रीडिंग 11.04.2018 को 4555 पाई गई जो कटे हुए कनेक्शन को जोड़कर ली गई है। यह कनेक्शन बकाया राशि पर काटा गया है इस विद्युत कनेक्शन पर अप्रैल 2018 की बकाया राशि रू.40464/– शेष है। उपभोक्ता के निवेदन अनुसार घरेलू विद्युत कनेक्शन को काट दिया जाये।

   यदि उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन कटवाना चाहती है तो संशोधित बिल की पूरी राशि जमा किया जाना होगा एवं गैर घरेलू कनेक्शन का भार वृद्धि कराना होगी जिसमें उपभोक्ता उपयोग कर सके।

3. घरेलू विद्युत कनेक्शन का अवलोकन करने पर मई 2016, 53+ आंकलित 60 यूनिट, फरवरी 2018 412 आंकलित, मार्च 2018, 349 आंकलित, अप्रैल 2018, 325 आंकलित के बिल जारी किये गये है। उपरोक्त लगाई गई आंकलित खपत का समायोजन 11/04/2018 को कर दिया गया है जिसमें 8475/– रूपये की क्रेडिट दी जा रही है जिसका संशाधित बिल इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

   इस प्रकार अप्रैल 2018 का देयक 40464 (–) 8475 = 31989 शेष है जो अप्रैल 2018 तक उपभोक्ता को जमा कराया जाना है। बिल जमा कराने के साथ ही एक शपथ पत्र दिया जाना होगा जिससे कनेक्शन स्थाई रूप से काटा जा सके।

   अतः उपभोक्ता को सलाह दी जाती है कि घरेलू कनेक्शन की संशोधित राशि जमा कराये एवं कनेक्शन स्थाई रूप से कटवाने हेतु एक शपथ–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करे। जिससे कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा सके।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

दिनांक 13.04.2018 को आवेदिका स्वयं फोरम के समक्ष उपस्थित हुई एवं कथन किया कि मेरे घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 46–4–9570162000 है जिसका स्वीकृत विद्युत भार 1240 वाट है। जो वर्तमान में अस्थाई रूप से बकाया राशि रूपये 40464/– होने के कारण विच्छेदित है एवं उसका उपयोग न होते हुये भी विद्युत बिलों में मीटर में दर्ज खपत के साथ आंकलित खपत लेकर विद्युत बिल दिये गये है। अतः आंकलित खपत हटाकर मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत बिल सुधार कर दिया जावे ताकि में उनका भुगतान कर सकू तथा बकाया राशि के भुगतान हेतु मुझे किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाए ताकि में बकाया राशि का भुगतान कर सकूॅ। वर्तमान में मेरे घरेलू विद्युत कनेक्शन को चालू करने हेतु रूपये 15000/– प्रथम किस्त के रूप में जमा करूगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा अस्थाई रूप से विच्छेदित घरेलू विद्युत कनेक्शन को चालू कराया जावे एवं इसके विद्युत बिलों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर बिलों को नियमानुसार संशोधित कर दिया जावे।

अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि शिकायतकर्ता परिसर पर व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन जिसका क्रमांक 2842072000 जो कि 1000 वाट विद्युत भार स्वीकृत है। परिसर का भौतिक सत्यापन दिनांक 11.04.2018 को किया गया कनेक्शन पर 4265 वाट विद्युत भार पाया गया। जो कि स्वीकृत विद्युत भार से अधिक है। उपभोक्ता का घरेलू कनेक्शन क्रमांक 9570162000 पर बकाया राशि होने के कारण अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया है। जिस कारण से उपभोक्ता द्वारा घरेलू कनेक्शन का लोड़ (विद्युत भार) भी व्यवसायिक कनेक्शन से उपयोग किया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रमांक 9570162000 का विच्छेदित करने हेतु शिकायत की गई है जिस पर अप्रैल 2018 में रूपये 40464/– बकाया है। इस घरेलू विद्युत कनेक्शन पर मई 2016 एवं फरवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक के विद्युत बिल आंकलित खपत यूनिट लगाकर दिये गये थे। उसे समाप्त करके राशि रूपये 8475/– की क्रेडिट उनके घरेलू विद्युत बिल में प्रदान कर दी गई है। संशोधन उपरांत राशि रूपये 31989/– जमा करके एवं अवश्यक शपथ पत्र के साथ स्थाई विच्छेदन हेतु आवेदन पत्र कम्पनी के जोन कार्यालय में प्रस्तुत करके कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कराया जा सकता है। आवेदिका की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करे।

आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि :–

1. आवेदिका के घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 46–4–9570162000 है जिस पर बकाया राशि रूपये 40464/– होने के कारण अस्थाई रूप से विच्छेदित है, के उपरांत भी उसे आंकलितखपत के विद्युत देयक दिये जा रहे है जबकि इस विद्युत संयोजन का उपयोग ही

नही हो रहा है। अतः आंकलित खपत हटाकर नियमानुसार विद्युत देयको को संशोधित कर विद्युत बिल दिये जाए ताकि की वह उसका भुगतान कर सके।

2. आवेदिका ने फोरम से निवेदन किया कि मुझे घरेलू विद्युत संयोजन की बकाया राशि का भुगतान किस्तों मे करने की सुविधा दी जाए ताकि में उसका भुगतान कर वर्तमान में मेरे घरेलू विद्युत संयोजन के बिलों के संशोधन के वाद जो बकाया राशि रूपये 31989/– की प्रथम किस्त रूपये 15000/– का भुगतान अप्रैल 2018 में करना फोरम के समक्ष स्वीकार किया एवं अपने घरेलू विद्युत संयोजन को चालू करने का निवेदन किया गया।

3. अनावेदक ने आवेदिका के घरेलू विद्युत संयोजन के माह मई 2016 के विद्युत देयक में मीटर खपत 53 +आंकलित खपत 60 यूनिट, फरवरी 2018 में, आंकलित 412 यूनिट मार्च 2018 में, आंकलित 349 यूनिट एवं अप्रैल 2018 में आंकलित यूनिट 325 को हटाकर तत् समय प्रचलित टैरिफ अनुसार मिनिमम के अनुसार विद्युत देयक संशोधन उपरांत रूपये 8475/– की क्रेडिट समायोजन अप्रैल 2018 के विद्युत देयक में कर दिया गया है तथा संशोधन उपरांत शेष राशि रूपये 31989/– है। जो कि नियमों एवं न्याय संगत है।

फोरम का निर्णय :–

अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि आवेदिका के घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 46–4–9570162000 की बकाया राशि अप्रैल 2018 की स्थिति में राशि रूपये 31989/– को किस्तों मे भुगतान करने की सुविधा आवेदिका को दी जाए एवं प्रथम किस्त भुगतान करने के बाद उसके घरेलू विद्युत संयोजन की विद्युत प्रदाय चालू कर दी जाए।

अतः आवेदिका की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अतः अनावेदक निर्देशित किया जाता हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 25.04.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस.मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 04 / 2018

प्रति,
श्री सोमल शर्मा,
डी–36, शिवम अपार्टमेण्ट,
हरीशंकर पुरम, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :फोरम के निर्णय दिनॉक25.04.2018के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–150 / 2018दिनॉक 28.03.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक25.04.2018 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहरसंभाग, (केन्द्रीय) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–150 / 2018 दिनांक 28.03.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 25.04.2018 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।अतः अनावेदक निर्देशित किया जाता हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.150/2018

28.03.2018

श्री सोमिल शर्मा,
डी–36, शिवम अपार्टमेण्ट,(आवेदक)
हरीशंकर पुरम, ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक, शहरसंभाग, (केन्द्रीय)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–25.04.2018 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/150 दिनॉक 28.03.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 13.04.2018को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मेरे नाम से श्री गणेश कॉम्पलेक्स झॉसी रोड़ स्थित दुकान नं. 11/12 में गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन सर्विस क्रमांक 2649952000 लगा हुआ है।
   1. माह अक्टूबर 2016 का बिल खपत यूनिट 10107 दर्शाते हुए 80300/– तथा नवम्बर 2016 का बिल खपत यूनिट 320 दर्शाते हुए 88973/– दिया गया।
   2. शिकायत नं. 411 दिनांक 24.10.2016 पर कार्यवाही करते हुए मेरा मीटर मेरी बिना उपस्थिति में जांच हेतु बदला गया।
   3. लेब टेस्ट रिपोर्ट 3/44 दिनांक 29.11.2016 एवं 08/108 दिनांक 12.03.2018 के अनुसार मीटर खराब की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

4. दिनांक 10.03.2017 को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 9 (14) का उल्लघन करते हुए मेरा विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया।

श्रीमान जी से अनुरोध है कि मीटर द्वारा दिखाई गई खपत कल्पना, वास्तविकता से परे है, कृपा करके मेरे बिल को सुधार कर यह अकल्पनीय यूनिट खपत हटाई जाए। तथा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 9 (14) का पालन करते हुए मेरे कनेक्शन को तुरंत जोड़ा जाए।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक ने आवेदक की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया किप्रकरण के सम्बंध में उत्तर प्रतिवेदन इस प्रकार हैः–

1. यहकि, शिकायतकर्ता का विद्युत कनेक्शन गैर घरेलू कनेक्शन हेतु 2000 कि.वा. स्वीकृत है।
2. यहकि उपभोक्ता को प्रतिमाह रीडिंग खपत के अनुसार बिल प्रदाय किये जा रहे है।
3. यहकि, उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर दिनांक 29.11.2016 को मीटर लैब में चैक कराया गया था, मीटर चैक करते समय मीटर सही पाया गया।
4. यहाकि दिनांक 12.03.2018 को उपभोक्ता की उपस्थिति में उक्त मीटर पुनः चैक किया गया मीटर सही पाया गया।
5. यहाकि उपभोक्ता के द्वारा माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण ग्वालियर के समक्ष बिल निरस्त कराने हेतु शिकायत की गई थी, जिसे माननीय फोरम द्वारा दिनांक 11.07.2017 को आदेश पारित करते हुए उपभोक्ता की शिकायत निरस्त कर दी गई है।
6. यहकि उपभोक्ता के कनेक्शन पर बकाया राशि 95212/– रू. होने पर दिनांक 10.08.2017 को कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया।

उपभोक्ता को प्रतिमाह रीडिंग खपत के बिल दिये गये है जिनमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नही है। अतः निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत निरस्त करने का कष्ट करे।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

आवेदक श्री सोमिल शर्मा फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं कथन किया कि मैं गैर घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2425001–6–3–2649952000 सिंगल फेज संयोजित विद्युत भार 2000 वाट, 11–12 श्री गणेश कम्पलेक्स झांसी रोड़ ग्वालियर में है। पर स्थापित विद्युत मीटर में माह अक्टूबर 2016 में 10107 यूनिट विद्युत खपत दर्ज हुई। जिसका विद्युत देयक रूपये 80300/– का मुझे दिया गया। इसकी शिकायत करने पर 20.10.2016 पर कार्यवाही करते हुए मेरा मीटर मेरी बिना उपस्थिति में जांच के लिये बदला गया। दिनांक 20.11.2016 को बिजली विभाग की लेब में मीटर टेस्ट किया गया। जिसकी रिपोर्ट शिकायत के साथ

संलग्न है। टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार मीटर डायल टेस्ट OK लिखा है। परंतु पुश बंटन के कार्य नही करने से मीटर डिफेक्टिव बताया गया। मार्च 2017 में 10.03.2017 को मेरा कनेक्शन काट दिया गया है। अतः निवेदन है कि मीटर में दिखाई खपत काल्पनिक है एवं वास्तविक से परे है। अतः मेरे बिल को सुधारवाया जावे तथा कनेक्शन को पुनः जुड़वाया जाऐ।

अनावेदक ने कथन किया किया कि शिकायत कर्ता का विद्युत कनेक्शन गैर घरेलू उपयोग हेतु 2000 वाट का स्वीकृत है। उपभोक्ता का प्रतिमाह मीटर में दर्ज रीडिंग के अनुसार खपत के बिल दिये जा रहे थे। उपभोक्ता की शिकायत पर दिनांक 29.11.2016 को मीटर टेस्टिंग लेब में टेस्ट कराया गया। मीटर टेस्टिंग में सही पाया गया। दिनांक 12.03.2018 को उपभोक्ता की उपस्थिति में पुनः मीटर टेस्टिंग लेब में टेस्ट कराया गया। और मीटर सही पाया गया और टेस्टिंग रिपोर्ट शिकायत कर्ता द्वारा अपने परिवाद में स्वतः लगाई गई है। शिकायकर्ता द्वारा माननीय जिला उपभोक्ता फोरम ग्वालियर समक्ष प्रकरण क्रमांक 223/17 दिनांक 04.04.2017 को दर्ज कराया गया था। माननीय जिला उपभोक्ता फोरम ग्वालियर द्वारा दिनांक 11.07.2017 को आदेश पारित करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत निरस्त कर दी गई है। कनेक्शन पर बकाया राशि रूपये 95312/– होने पर दिनांक 10.08.2017 को कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया है। उपभोक्ता के विद्युत बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नही है। उपभोक्ता की शिकायत निरस्त की जाने का कष्ट करे।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये कथनों कि विवेचना उपरांत यह पाया गया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ग्वालियर म.प्र. के समक्ष यह प्रकरण आवेदक ने प्रस्तुत किया था। जिसे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ग्वालियर द्वारा आवेदक का विद्युत कनेक्शन गैर घरेलू होने के कारण प्रथम दृष्टया ही परिवाद उपभोक्ता की श्रेणी में नही आता है। परिवादी के द्वारा गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन जिन दुकान में लिया गया है उनमें व्यवसायिक गतिविधि, टैक्सी ट्रेवलिग का कार्य होता है। इस लिये यह व्यवसायिक उद्देश्य है। ऐसी दशा में परिवादी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत ''उपभोक्ता'' की श्रेणी में नही आता है। इसलिये परिवादी द्वारा पेश परिवाद प्रचलन योग्य नही है। आदेश पारित किया गया।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 अध्याय 2 परिभाषाए की कंडिका 2.4 (क) फोरम से अभिप्रेत है विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जिसे अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) के अनुसरण में प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित किया गया है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

2.4 (एम) :– शिकायत (Grievance) से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उपभोक्ता की शिकायत को पंजीकृत करने अथवा उसका निराकरण न करने में विफलता के फलस्वरूप उपभोक्ता की असंतुष्टि तथा इसमें समलित होगा किसी शिकायत के संबंध में उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य कोई विवाद अथवा प्रभावित व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत के सम्बंध में अथवा अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही तथापि अधिनियम के निम्न उपबंधो के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय इन विनियमों के अंतर्गत शिकायत नही मानी जायेगी।

1. विद्युत का अनाधिकृत उपयोग जैसा अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है।

2. अपराध तथा अर्थदण्ड जैसा कि अधिनियम की धारा 135 से 139 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है।

3. विद्युत के वितरण प्रदाय अथवा उपयोग में किसी दुर्घटना सें सम्बंधित क्षतिपूर्ति जैसा कि अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत प्रावधानिक किया गया है। एवं

4. बकाया राशि की वसूली जहा बिल की गई राशि विवादित न हो।

अतः उपरोक्त दृष्ठांत 2.4 (एम) के तहत आवेदक की शिकायत नही आती है। अतः आवेदक की शिकायत विद्युत अधिनियम 42के उपधारा (5) के अनुसरण में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम सुन सकता है।

अनावेदक द्वारा आवेदक को अक्टूबर 2016 में आवेदक के विद्युत मीटर में दर्ज खपत 10107 का रूपये 80300/– विद्युत देयक दिया गया। जिसे सुधारने एवं मीटर चैक करने के लिये आवेदक ने अनावेदक को लिखित आवेदन देकर निवेदन किया कि मेरे परिसर में एक माह में इतनी अधिक विद्युत की खपत नही आ सकती क्योकिं निजि कारण से कार्यालय 6 माह से बंद था तथा पिछले माह से विद्युत बिल भी सही आ रहा था। अतः आवेदक के कथन अनुसार पासबुक में भी माह अक्टूबर 2016 से पहले विद्युत की खपत भी लगभग मिनिमम खपत मीटर में दर्ज हुई है तथा नया मीटर लगाने के बाद भी आवेदक के परिसर में अक्टूबर 2016 के पूर्व के माहों में दर्ज खपत के लगभग बराबर ही मीटर में दर्ज हुई है।

आवेदक का विवादित मीटर क्रमांक 566791 मेक नाकोड़ा का निम्नदाब विद्युत मीटर परीक्षण शाला ग्वालियर में मीटर का परीक्षण कराया गया जिसमें मीटर का डायल टेस्ट सही पाया गया। किन्तु मीटर पुश बंटन कार्य नही कर रहा इसलिये मीटर खराब है। मीटर परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार। अतः आवेदक के विद्युत मीटर में रीडिंग डिसप्ले पर दिखाई देती है और इसे आपरेट करने वाले कोई फीयर्स खराब हो जाने पर मीटर में दर्ज खपत भी प्रभावित होती है। अतः आवेदक के विद्युत मीटर में माह अक्टूबर 2016 में दर्ज खपत 10107

यूनिट भी संदेहप्रद है। क्योकिं माह अक्टूबर 2016 के पहले एवं बाद में नये मीटर में भी विद्युत खपत इतनी ज्यादा दर्ज नही हुई। अतः फोरम आवेदक का विद्युत मीटर क्रमांक 566791 को फोरम खराब मानता है एवं अनावेदक को निर्देशित किया जाता है। कि आवेदक को जारी माह अक्टूबर 2016 का 10107 यूनिट का विद्युत देयक निरस्त करे एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 8 की कंडिका (ब) के अनुसार मीटर खराब अवधि का विद्युत देयक मीटर खराब होने के पूर्व मीटर में दर्ज तीन माह की खपत का औसत या नया मीटर स्थापित होने के पश्चात नये मीटर में दर्ज 3 माह की खपत का औसत लेकर आवेदक का माह अक्टूबर 2016 के विद्युत देयक को संशोधित कर आवेदक को जारी करे। तथा आवेदक के विद्युत संयोजन को विवादित बिल माह अक्टूबर 2016 10107 यूनिट के रूपये 80300/– के संशोधन न कर बकाया राशि होने के कारण स्थाई रूप से विच्छेदित आवेदक के विद्युत संयोजन को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में विद्युत मीटर लगाकर पुनः कनेक्शन निशुल्क दिया जाए। तथा माह नवम्बर 2016 से अगस्त 2017 तक की अवधि में आवेदक के नये मीटर में दर्ज खपत अनुसार या मिनिमम मीटर में दर्ज खपत हुई हो तो मिनिमम टैरिफ के विद्युत देयक जारी करे। तथा माह अगस्त 2017 के बाद आवेदक के विद्युत संयोजन को पुनः चालू करने तक की अवधि के बिल न लिये जाये।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत होकर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

अतः अनावेदक निर्देशित किया जाता हैं कि फोरम द्वारा पारित निर्णय का पालन प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में संबंधित को अवगत कराते हुए उसकी एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 25.04.2018
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	(राजीव अग्रवाल)
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष